आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की अध्यक्षता में दिनांक 23.06.2026 को आयोजित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. डॉ0 मनीष कुमार, आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा
2. श्री अनिल कुमार राय, संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा।
3. श्री मुकेश कुमार, अपर समाहर्त्ता (राजस्व), सारण, छपरा – सदस्य।

विशेष आमंत्रित सदस्य–

जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण, सिवान एवं गोपालगंज (VC के माध्यम से)

कार्यवाही:–

आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा उपस्थित सदस्यों, पदाधिकारियों एवं आवेदकगण का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

2. विगत बैठक दिनांक–15.05.2026 की कार्यवाही का अनुपालन हेतु निदेश दिया गया।

3. सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण को प्राधिकार द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किए गए कार्यो की सूचना ग्रहित की गयी एवं उसका अनुमोदन किया गया।

4. मोटरयान अधिनियम, 1988 के महत्वपूर्ण नियमों/प्रावधानों यथा–76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89 एवं 96 इत्यादि तथा उसके विषय की विस्तृत जानकारी सभी पदाधिकारियों एवं आवेदकों को दी गयी, ताकि परमिटधारी अपने परमिट का सही उपयोग कर सके।

माह–जून, 2026 में बसों की स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु **कुल–45** नये आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदनों पर विचार किया गया, जो कार्यावली संख्या–3(i) परिशिष्ट–II पर दर्ज है।

इस बैठक हेतु प्राप्त आवेदन की विवरणी						पूर्व से लंबित आवेदन की विवरणी		
कुल आवेदन	स्वीकृत	संशोधित स्वीकृत	अस्वीकृत	आवेदन वापस	लंबित आवेदन	पूर्व से कुल लंबित	स्वीकृत	अस्वीकृत
45	22	16	6	01		00	—	—

प्राधिकार का निर्णय कार्यावली संख्या परिशिष्ट–I पर, पृष्ठ संख्या–.......... से .... तक कुल–......... पन्नों में संलग्न है।

सभी सदस्यों द्वारा परमिट निर्गत करने से संबंधित परिपत्र एवं अधिसूचना आदि का अवलोकन किया गया, जो इस प्रकार है :–

क्रमांक	परिपत्र/अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	विषय
1	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1377 दि0 6.04.2018	वाहनों के अधिकतम गति सीमा के संबंध में।
2	परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 6281 दिनांक 02.09.2020	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यगण की नियुक्ति।
3	उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का पत्रांक 1932 दिनांक 12.03.2021	राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के लिए निर्देश।
4	बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 615 दिनांक 29.10.1985	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।
5	विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 11715 दिनांक 05.10.1991	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।

6	उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का ज्ञापांक 1932 दिनांक 12.03.2021	शपथ–पत्र एवं वांछित कागजात के संबंध में।
7	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक RT-11036/09/2023-MVL दिनांक 02.01.2023	वाहनों को Flagging / Blacklisting करने के संबंध में।
8	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023 एवं सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–7695, दिनांक–13.05.2024	बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने के संबंध में।
9	परिवहन विभाग, बिहार, पटना का अधिसूचना सं0–6479, दिनांक–30.09.2022	सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्यता के संबंध में।
10	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023	सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय होने के संबंध में।
11	सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1557 दिनांक 07.03.2022	सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. के संबंध में।
12	सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 4156 दिनांक 01.06.2023	सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. के संबंध में।

5. दो वाहनों के प्रस्थान समय में न्यूनतम अन्तराल :– प्राधिकार की बैठक दिनांक–10.09.2024 में विचार–विमर्श करने के उपरांत यात्रीगणों की सुविधा, परमिट हेतु प्राप्त आवेदनो की संख्या, बस पड़ाव में भीड़–भाड़ व वाहन स्वामियों के अनुरोध एवं सुझाव तथा अन्य निकटतम प्राधिकारों की पॉलिसी इत्यादि को देखते हुए **इसमें निम्न कंडिका "क" एवं "ख" के अनुरूप संशोधन किया गया, जिसे यथावत् रखते हुए प्राधिकार की बैठक दिनांक–27.02.2025 में कंडिका "ग" एवं "घ" जोड़कर इसे और अधिक स्पष्ट किया गया, ताकि समय–अंतराल के किसी बिंदु पर संशय की स्थिति नहीं रहे, जो निम्नवत है :–**

(क) प्रारम्भिक / मुख्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तराल:–

(i) किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन के परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय से पूर्व (Before) न्यूनतम 05 (पाँच) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(ii) किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन के परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय के बाद (After) न्यूनतम 02 (दो) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(ख) मध्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तराल:– किसी मार्ग के मध्य बिन्दु पर दो वाहनों के बीच प्रस्थान समय में अन्तराल (पहले या बाद में) न्यूनतम 02 (दो) मिनट का अनुमान्य होगा।

(ग) मार्ग भिन्न परन्तु कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में समय–अंतराल:–

(i) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन एवं आवेदित वाहन का प्रारंभिक बिन्दु (*किसी एक तरफ से भी*) समान होने की स्थिति में नये आवेदनों के शिवाय समय–अंतराल का उपरोक्त कंडिका–**(क)** एवं **(ख)** के प्रावधान लागू होंगे।

(ii) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन का प्रारंभिक बिन्दु एवं आवेदित वाहन का मध्य बिन्दु होने की स्थिति में समय–अंतराल पहले (Before) न्यूनतम 05 मिनट तथा बाद में (After) न्यूनतम 02 मिनट का अनुमान्य होगा।

(iii) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन का मध्य बिन्दु एवं आवेदित वाहन का प्रारंभिक बिन्दु होने की स्थिति में समय–अंतराल पहले (Before) या बाद में (After) न्यूनतम 02 मिनट का अनुमान्य होगा।
(घ) मार्ग भिन्न परन्तु कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में समय–अंतराल संबंधी उपरोक्त कंडिका **(क)**,**(ख)** एवं **(ग)** के प्रावधान लागू/मान्य नहीं होंगे।

प्राप्त आवेदन एवं आपत्तियों के सुनवाई के क्रम में प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय आवेदकों द्वारा उक्त समय अन्तराल का अनुपालन किये बगैर परमिट हेतु आवेदन किया जाता है, जिस कारण उनके समय–सारणी में ट्रिप कटाव/बाईपास करते हुए परमिट पर विचार किया जाता है। इस बिन्दु पर कई आवेदको द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जिस वाहन के समय–सारणी से उनके आवेदित समय–सारणी का टकराव हो रहा है वह वाहन भी उनकी है अथवा उनके बैनर के अंतर्गत चलने वाली वाहन है। साथ ही कभी यह भी कहा जाता है कि जिनके वाहन के परमिट से समय का टकराव हो रहा है उनको कोई आपत्ति नहीं है एवं इस तर्क के साथ परमिट हेतु अनुरोध किया जाता है।

उपरोक्त के संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ***उक्त मामला टाईम स्लॉट का है। परमिट यात्रियों की सुविधा हेतु बस को दी जाती है न कि किसी व्यक्ति को***। चूँकि प्रायः यह देखा गया है कि वाहन स्वामियों द्वारा Modus Operandi के तहत एक रूट में क्रमवार अपने बैनर के अंतर्गत चार–पॉच वाहनों का परमिट प्राप्त कर लिया जाता है और उसमें से एक–दो वाहनों का हीं परिचालन किया जाता है। शेष वाहनों को अन्यत्र स्थानों यथा–विद्यालय, आदि में संचालित किया जाता है तथा यात्रियों को बस के क्षमता से अधिक भरकर ले जाया जाता है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। इसलिए ऐसे टाईम स्लॉट का प्रावधान लागू किया गया है। ***यह टाईम स्लॉट सभी पर सामान रूप से लागू होगा, चाहे समय का टकराव खुद की वाहन से ही क्यों न हो रहा हो।***

6 (i) <u>उपलब्ध टाईम स्लॉट, पहले आओ–पहले पाओ (FIFO)</u> :– जिन वाहन स्वामियों के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है, उन इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वे पुनः विहित प्रक्रिया का पालन कर प्राधिकार के आगामी बैठक में आवेदन कर सकते हैं। प्राधिकार की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 28.10.2024 से **"पहले आओ–पहले पाओ"** का नियम लागू किया गया है, जिसके आधार पर **ऑनलाईन आवेदन की तिथि/समय के क्रमानुसार (Server time के अनुसार)** विचार किया जाएगा।

(ii) पहले आओ–पहले पाओ के सिद्वांत के मदे्नजर कई बार पहले प्राप्त आवेदन के आलोक में किसी के बाद में प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है या उससे हो रहे टकराव के कारण खेप कटाव किया जाता है। इसी दरम्यान पहले प्राप्त आवेदन पर किसी अन्य वाहन पर आवृत परमिट से उक्त आवेदन (पहले) के किसी खेप में कटाव होता है और वह आवेदक उक्त खेप कटाव के कारण अपने उक्त परमिट आवेदन को Dispose Off करने हेतु कार्यालय में आवेदन देता है, तो वैसी स्थिति में न ही पहले और ना ही बाद में प्राप्त आवेदक को परमिट मिल पाता है, जिससे उक्त टाईम स्लॉट फ्री हो जाता है। ऐसे मामलों में प्राधिकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पहले वाले आवेदनकर्त्ता द्वारा यदि परमिट नहीं लिया जाता है, तो बाद वाले आवेदनकर्त्ता यदि इच्छुक होंगे तो परमिट स्वतः स्वीकृत मानते हुए परमिट निर्गत कर दी जाएगी।

(अनुपालनःआर0टी0ए0 सचिव/संबंधित वाहन स्वामी/संबंधित आपतिकर्त्ता)

(iii) <u>Overlapping of Route</u>:- मार्ग भिन्नता से संबंधित मामले प्रकाश में आते रहे हैं। एक मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन प्राप्त होता है और दूसरे मार्ग पर परमिट धारक द्वारा आपत्ति दर्ज कराकर परमिट का विरोध किया जाता है। उपरोक्त के मद्देनजर प्राधिकार की बैठक दिनांक–10.09.2024 में निर्णय लिया गया था कि जब एक मार्ग दूसरे मार्ग से भिन्न हो तथा 40 प्रतिशत तक एक–दूसरे को आच्छादित करता हो तो दोनों मार्ग को भिन्न मानते हुए नियमानुसार परमिट निर्गमण की कार्रवाई की जायेगी तथा **जब एक मार्ग दूसरे मार्ग को 40 प्रतिशत से अधिक आच्छादित करता हो एवं समय का टकराव**

पूर्व के परमिट से आच्छादित वाहन से हो रहा हो तो उन दोनों मार्गों को भिन्न नहीं मानते हुए आपति के आलोक में नियमानुसार ट्रिप कटाव/बाईपास कर परमिट निर्गमण के बिंदु पर विचार की जायेगी।

(iv) बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित किया जाना :– सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023 एवं सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–7695, दिनांक–13.05.2024 के द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत् बसों के दोनों तरफ **परमिटधारी का नाम एवं पता सहित बस के ड्राईवर एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है।**

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक–10.09.2024 की कार्यवाही में सभी बस मालिकों को उपरोक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया था। साथ हीं समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक–20.09.2024 के अंक में एवं तत्पश्चात् पुनः समाचार पत्र हिन्दुस्तान व प्रभात खबर के दिनांक–10.10.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति/सूचना प्रकाशित कर सभी बस मालिकों को अपने बसों के दोनों तरफ **(a) परमिटधारी का नाम एवं पता (b) परमिट संख्या एवं वैधता (c) मार्ग संख्या, प्रारंभ एवं गंतव्य स्थल (d) बस के चालक एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर** अनिवार्य रूप से अंकित करा लेने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही प्रधिकार के सभी बैठकों में नियमित रूप से उक्त के अनुपालन हेतु निदेशित किया जाता रहा है। परन्तु अभी भी कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा उक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः सभी बस मालिकों को पुनः निदेशित किया गया कि वे अपने बसों के दोनों तरफ उपरोक्त सूचना अनिवार्य रूप से अंकित करा लें अन्यथा पकड़े जाने पर अधिकतम जुर्माना के साथ–साथ नियमानुसार परमिट निलंबन/रद्द करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया जायेगा।

इस संबंध में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमंडलान्तर्गत प्रतिदिन कम से कम 20 बसों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे एवं जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालनः सभी DTO, सारण प्रमंडलन्तर्गत/सभी परमिटधारी)

(v) सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना:– माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में VLTD **(Vehicle Location Tracking Device)** स्थापित एवं सक्रिय कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ***परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–6479, दिनांक–30.09.2022 द्वारा*** VLTD ***स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। इसका उल्लंघन मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–177, 179 एवं धारा–190(2) का उल्लंघन माना जायेगा एवं तदनुसार उक्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकेगी***। साथ ही सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा भी परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्राधिकार की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक–30.11.2024 हेतु मिश्रा–बन्धु बैनर के अंतर्गत प्राप्त आवेदन एवं उसपर प्राप्त आपत्ति, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य में निबंधित कई बसों का उल्लेख किया गया था, जिसके सुनवाई के क्रम में पाया गया कि उन बसों में VLTD स्थापित नहीं है। इस बिंदु पर पृच्छा किये जाने पर मिश्रा बन्धु बस सेवा के स्वामी एवं अन्य उपस्थित पक्षों द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में VLTD स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य नहीं है।

इस बिंदु पर सभी वाहन स्वामियों को संबोधित करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि भले हीं किसी राज्य में VLTD स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य नहीं हो, परन्तु यह बिहार राज्य में अनिवार्य किया गया है। इसलिए इस प्राधिकार के क्षेत्र अंतर्गत यदि किसी अन्य राज्य से निर्गत परमिट पर वाहन का परिचालन किया जाता है, तो उस वाहन में VLTD स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य

है। अन्यथा **परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–6479, दिनांक–30.09.2022 का उल्लंघन माना जायेगा एवं तद्नुसार संबंधित वाहन के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।**

यह भी उल्लेखनीय है कि प्राधिकार की बैठक दिनांक–10.09.2024 के कार्यवाही में एवं समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" के दिनांक–20.09.2024 के अंक में तथा तत्पश्चात् पुनः समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" व "प्रभात खबर" के दिनांक–10.10.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति/सूचना प्रकाशित कर सभी बस मालिकों को अनुपालन हेतु निदेशित किया गया था। साथ ही प्रधिकार के सभी बैठकों में नियमित रूप से उक्त के अनुपालन हेतु निदेशित किया जाता रहा है। परन्तु अभी भी कतिपय बस मालिकों द्वारा अपने बस में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है।

प्राधिकार की बैठक दिनांक 29.05.2025 के लिए प्राप्त आपत्ति के आलोक में वाहन सं0–BR06PF-5542, BR05PB-8293 एवं BR05PB-8073 का VLTD जॉच में पाया गया कि उक्त तीनों वाहनों में VLTD अधिष्ठापित एवं सक्रिय तो है, परन्तु उसका डाटा VLTD कंट्रोल रूम को आज तक नहीं भेजा गया है या पिछले कई माहों से नहीं भेजा रहा है, जो परिवहन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–1557, दि0–07.03.2022 एवं पत्रांक–4156, दि0–01.06.2023 में वर्णित प्रावधान का उल्लंघन है, जिसके लिए संबंधित वाहन स्वामियों पर जुर्माना भी लगाया गया एवं ***सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया है कि वे नियमित रूप से जाँच करते रहेंगे कि उनके वाहन में अधिष्ठापित VLTD उपकरण कार्य कर रहा है तथा Cellular Connectivity के द्वारा राज्य अनुश्रवण केन्द्र को आवश्यक सूचना नियमित रूप से भेज रहा है। ऐसा नहीं होने पर उनकी जानबूझकर लापरवाही मानते हुए जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जायेगी।***

अतएव् सभी बस मालिकों को पुनः निदेश दिया गया कि सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित (Install) एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके वाहन में अधिष्ठापित VLTD उपकरण कार्य कर रहा है तथा Cellular Connectivity के द्वारा राज्य अनुश्रवण केन्द्र को आवश्यक सूचना नियमित रूप से भेज रहा है। VLTD स्थापित होने एवं सक्रिय होने की स्थिति में ही परमिट निर्गत किये जायेंगे। साथ ही पूर्व से परमिट से आवृत्त वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं पाये जाने पर नियमानुसार परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जायेगा।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमंडलान्तर्गत प्रतिदिन कम से कम 20 बसों का VLTD की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

(vi) <u>वाहन की आयु के अनुसार प्रतिदिन दूरी</u> :–

सरकारी नियम के अनुसार बस की आयु के आधार पर प्रतिदिन परिचालन निम्न प्रकार किया जाना है :–

क्र0 सं0	बस की आयु (वर्ष में)	प्रतिदिन अधिकतम परिचालन (कि0मी0 में)
1	0–5	असीमित
2	5–10	600
3	10–15	400
4	15 से ऊपर	100

सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि उक्त नियम का पालन करते हुए अपने वाहनों का परिचालन सुनिश्चित करेंगे। **जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैद्यता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रहा हो** एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का **परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक हो**, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही बस की आयु

15 वर्ष पूरा होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा। उक्त अवधि के बाद परिचालन पाये जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी। **ध्यान रहे कि परिवहन विभाग के पोर्टल पर अंकित दूरी को हीं वास्तविक दूरी मानी जायेगी।**

(vii) गति सीमा :–

(क) **गति सीमा का पालन** :– सभी आवेदक/वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 के अनुसार गति सीमा एवं इस प्राधिकार द्वारा तैयार की गई शपथ–पत्र (**अनुलग्नक–1**) में सभी सूचनाएँ अंकित करते हुए यह स्पष्ट एवं अनिवार्य रूप से उल्लेख करेंगे कि **आवेदित वाहन के समय–सारणी में कहीं भी गति सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है एवं समय–सारणी में दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगने वाला समय का स्पष्ट उल्लेख हो।** इससे आपत्तिकर्त्ता को भी सही जानकारी होगी एवं तथ्यात्मक शिकायत कर पायेंगे। विहित प्रपत्र इस कार्यवाही के कंडिका–9(i)(m) में अंकित है। विहित प्रपत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं रहने पर उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ख) **न्यूनतम गति सीमा का पालन** :–कतिपय बस मालिकों द्वारा अत्यंत धीमी गति से बसों का परिचालन किया जाता है एवं उसी के अनुरूप समय–सारणी का प्रकाशन कराया जाता है। बसों का काफी धीमी गति से परिचालन करने से यात्रियों को असुविधा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चूँकि यात्रीगण को पूर्व से यह पता नहीं होता है कि अमूक बस कितने समय में उनके गंतव्य स्थान तक पहूँचेगी। बस में बैठने के पश्चात् उनको पता चलता है कि इस बस का परिचालन काफी धीमी गति से किया जा रहा है, जिससे उनको अपने किसी कार्य हेतु निर्धारित समय अवधि पर पहुँचने में विलंब होने के साथ–साथ अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः उपरोक्त के मद्देनजर ऐसी स्थिति से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए प्राधिकार द्वारा बसों की न्यूनतम गति सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की गयी हैः–

1. **MMPPY** बसः– 10 कि0मी0/घंटा
2. सामान्य बसः– 20 कि0मी0/घंटा

नोटः– (1) *सामान्य बस की स्थिति में यदि किसी पड़ाव बिंदुओ के मध्य दूरी 5 कि0मी0 या उससे कम हो तब उस पड़ाव बिंदुओं के मध्य न्यूनतम गति सीमा 15 कि0मी0/घंटा अनुमान्य किया जा सकेगा।*

(2) *सामान्य बस की स्थिति में यदि किसी पड़ाव बिंदुओ के मध्य आम तौर काफी भीड़–भाड़ रहती हो या उस सड़क की स्थिति के अनुसार 20 कि0मी0/घंटा से अधिक तेज चलाने पर दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में 20 कि0मी0/घंटा से कम गति होने पर भी प्राधिकार द्वारा परमिट स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा। परन्तु किसी भी परिस्थिति में 15 कि0मी0/घंटा से कम गति होने पर विचार नहीं किया जायेगा।*

उल्लेखनीय है कि प्राधिकार की बैठक दिनांक–30.11.2024 में कतिपय वाहन स्वामियों का आवेदन समय अंतराल त्रुटिपूर्ण भरे जाने के कारण अस्वीकृत हो गया था। क्योंकि समय अंतराल में सुधार करने के पश्चात पाया गया कि कतिपय आवेदनों के समय–सारणी में अधिकतम एवं न्यूनतम गति सीमा का उल्लंघन हो रहा है। इस क्रम में आयुक्त–सह–अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा **दिनांक–03.12.2024** को उपस्थित वाहन स्वामियों के साथ बैठक आयोजन किया गया, जिसमें समय अंतराल को सही तरीके से भरने एवं आवेदन के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न करने, आदि बिंदुओं पर प्रशिक्षण दी गयी। इसके बावजूद भी कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा **समय अंतराल को सही तरीके से नहीं अंकित किया जा रहा है, जिसमें सुधार करने के पश्चात् पाया जा रहा है कि आवेदित समय–सारणी में या तो अधिकतम गति सीमा का या फिर न्यूनतम गति सीमा का उल्लंघन हो रहा है।** दोनों ही स्थिति में उनके आवेदन अस्वीकृत हो रहे हैं।

अतः वाहन स्वामियों को निदेशित किया जाता है कि यदि गति सीमा के संबंध में **तथ्य छुपाने या उल्लंघन का कोई मामला प्रकाश में आता है तो प्रमादी वाहन के परमिट को नियमानुसार रद्द कर दिया जाएगा** एवं वाहन स्वामी के विरूद्ध भी नियमानुसार यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

7. **आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा आर0टी0ए0 में सुगमता, पारदर्शिता एवं परमिटधारियों की सुविधा हेतु निम्न कदम उठाये गये हैं, जिसकी जानकारी विस्तार से दी जा रही है:–**

(i) परमिट हेतु निर्णय **सिर्फ ऑनलाईन आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजात के आधार पर** लिया जाता है। ऑफलाईन कागजात सिर्फ कार्यालय अभिलेख के लिए है। ऑनलाईन एवं ऑफलाईन आवेदन में विसंगति/भिन्नता, विशेष कर पोर्टल में दर्ज समय–सारणी एवं हार्ड कॉपी में दर्ज समय–सारणी में विसंगति/भिन्नता पाये जाने पर परमिट हेतु दी गई स्वीकृति को अस्वीकृत माना जायेगा एवं नियमानुसार आवेदन Dispose Off कर दिया जायेगा।

(ii) पूर्ण आवेदन देने हेतु **सभी जानकारी आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित की जाती है**, ताकि आवेदक को सभी आवश्यक सूचना एक ही जगह पर सुगमता से प्राप्त हो सके, यथा–मार्गवार सभी बसों की समय–सारणी, बैठक की सूचना, ऐजेण्डा, बैठक की कार्यवाही इत्यादि। आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातों का **Sample** भी वेबसाईट पर अपलोड किया गया है।

(iii) आवेदन स्वीकृति के पश्चात् निर्गत परमिट को आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है।

(iv) आवेदन एवं एजेन्डा पर दावा/आपत्ति प्राप्त कर एवं उस पर विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है।

(v) गंभीर आपत्ति के मामले में व्यक्तिगत सुनवाई कर मामले का निस्तारण किया जायेगा।

(vi) **शिकायत हेतु E-mail** :– यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत हो तो **E-mail id-rtasaranbihar@gmail.com** पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं। शिकायत सही होने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी वाहन स्वामी को कोई कार्य हो तथा कोई अभिलेख जमा करना अथवा प्राप्त करना हो तो कार्यालय के काउण्टर नम्बर 01 से सम्पर्क कर अपने कार्यों का निष्पादन करा सकते हैं। यदि उन्हें कार्यालय आना पड़े तो प्राथमिकता के आधार पर पहले संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण से मिल कर अपने कार्यों का निष्पादन करा सकते हैं। उनसे संतुष्ट नहीं होने पर आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा से मिलकर अपनी कार्यों के निष्पादन के संबंध में बात कर सकते हैं।

(vii) **बैठक में हंगामा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई** :– सभी आवेदकों एवं आपत्तिकर्त्ताओं को सख्त हिदायत दी गई कि वे **बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे, आपस में झगड़ा या हंगामा नहीं करेंगे** अन्यथा उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। यदि कोई बात V.C. के माध्यम से बैठक में नहीं रख पाते हैं तो अगले कार्य दिवस को अपराहन् 01:00 बजे तक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं।

(viii) समय–समय पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर भी परमिटधारी/वाहन स्वामियों को प्राधिकार के निर्णय से अवगत कराया गया है, जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	विषय	कार्यालय पत्रांक एवं दिनांक	समाचार पत्र	प्रकाशन की तिथि
1.	वाहन के कागजात अद्यतन नही रहने पर जुर्माना, बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने एवं VLTD स्थापित व सक्रिय कराने के संबंध में।	पत्रांक–188, दिनांक–14.09.2024	हिन्दुस्तान	20.09.2024
2.	वाहन के कागजात अद्यतन नही रहने पर जुर्माना, बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने एवं VLTD स्थापित व सक्रिय कराने के संबंध में। साथ हीं 167 प्रमादी वाहनों को भेजे गये नोटिस के संबंध में।	पत्रांक–380, दिनांक–04.10.2024	हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर	10.10.2024
3.	प्रमादी वाहनों का परमिट रद्द करने के संबंध में।	पत्रांक–528, दिनांक–15.11.2024	दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर	16.11.2024
4.	ऑफलाईन परमिटों को वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में इंट्री के संबंध में।	पत्रांक–529, दिनांक–15.11.2024	द टाईम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर	19.11.2024 20.11.2024
5.	परमिट से आवृत्त 15 वर्ष से अधिक आयु वाले वाहनों के परमिट प्रतिस्थापन के संबंध में।	पत्रांक–48, दिनांक–29.03.25	हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर	04.04.2025
6	परमिट से आवृत्त 15 वर्ष से अधिक आयु वाले वाहनों के परमिट प्रतिस्थापन के संबंध में।	पत्रांक–148, दिनांक–30.04.25	हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण	03.05.2025
7	फर्जी बीमा कराकर बस का परिचालन करने के विरूद्ध कार्रवाई करने के संबंध में।	—	हिन्दुस्तान	25.05.2025

8. सामान्य निदेशः–

(i) इस प्राधिकार से निर्गत परमिट को मुजफ्फरपुर प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर कराना :– उन सभी बसों को जिनके परमिट मुजफ्फरपुर प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, वे परमिट निर्गमण की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर वहाँ प्रतिहस्ताक्षर कराने हेतु आवेदन देना सुनिश्चित करेंगे एवं उसका साक्ष्य इस कार्यालय में समर्पित करेंगे। परमिट निर्गत करने की तिथि से दो महीने के अन्दर **यदि प्रतिहस्ताक्षर कराकर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द किया जा सकता** है। अधिकतर परमिटधारी इस शर्त्त का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

किसी भी आवेदक या ग्रुप के वाहन का पूर्व में निर्गत परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं किया जाता है तो प्रति लंबित वाहन पर 5000=00 रूपये प्रतिमाह की दर से जुर्माना लगाया जायेगा एवं भविष्य में उनके किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(अनुपालनः आर0टी0ए0 सचिव/सभी परमिटधारी

(ii) अन्य प्राधिकार से निर्गत परमिट को प्रतिहस्ताक्षर कराना :– जिन बसों का परमिट दूसरे प्राधिकार से निर्गत है, परन्तु बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन किया जा रहा है, वैसे बसों के स्वामियों से अनुरोध है कि बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में बसों का परिचालन न करें, अन्यथा पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि प्रतिहस्ताक्षर रहित बस के स्वामी द्वारा तथ्य छुपाकर परमिट हेतु आवेदन किया जाता है, तो जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित बस जिस बोर्ड, समूह/बैनर के अधीन परिचालित हो रही है, उस बोर्ड, समूह/बैनर के किसी भी आवेदन/आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं करने का निर्णय सर्वसम्मति से प्राधिकार द्वारा लिया गया है। कुछ वाहन स्वामियों

द्वारा दूसरे प्राधिकार से परमिट प्राप्त कर इस प्राधिकार में अपनी वाहन का परिचालन कर रहे हैं, लेकिन प्रतिहस्ताक्षर हेतु इस प्राधिकार में परमिट एवं समय–सारणी के साथ प्रकाशन के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। बिना प्रतिहस्ताक्षर इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन नियमानुकूल नहीं है। वैसे वाहनों के स्वामी इस प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन ऑनलाईन या काउन्टर नं0–1 पर समर्पित करेंगे।

यदि किसी वाहन का स्टेज कैरेज परमिट किसी अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकार से निर्गत है एवं उसका परिचालन मार्ग बिहार राज्य/इस प्राधिकार के क्षेत्रान्तर्गत पड़ता है, तो उस परमिट को भी राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार, पटना से प्रतिहस्ताक्षर होना/कराया जाना अनिवार्य है। प्राप्त आसूचना के अनुसार एवं बसों के जॉच के क्रम में ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं कि झारखंड एवं उत्तर प्रदेश राज्य से परमिट प्राप्त कर बिना प्रतिहस्ताक्षर के हीं इस राज्य/सारण प्राधिकार के क्षेत्रान्तर्गत वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो कि नियमानुकूल नहीं है।

अतः सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश दिया जाता है कि ऐसे वाहनों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अगली बैठक से पूर्व की गयी कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः सभी डी0टी0ओ0 सारण, प्रमण्डलान्तर्गत/आर0टी0ए0 सचिव/सभी परमिटधारी)

(iii) **परमिट प्रतिहस्ताक्षर अस्वीकृत होने की स्थिति में पुनः परमिट हेतु आवेदनः–** यदि किसी वाहन का निर्गत परमिट का प्रतिहस्ताक्षर अन्य प्राधिकार से अस्वीकृत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व से धारित परमिट प्रत्यर्पण करने के पश्चात् हीं नये परमिट हेतु आवेदन किया जाय। बिना परमिट प्रत्यर्पण किये नये परमिट हेतु आवेदन करने की स्थिति में यह माना जायेगा कि प्रतिहस्ताक्षर अस्वीकृत होने के पश्चात् भी उक्त परमिट पर पूरे मार्ग में वाहन का परिचालन किया जा रहा है और इस आधार पर जुर्माना के साथ एवं पूर्व परमिट प्रत्यर्पण करने के शर्त पर परमिट की स्वीकृति दी जायेगी। ***परमिट की प्रतिहस्ताक्षर अन्य प्राधिकार से अस्वीकृत होने की स्थिति में छः माह के पूर्व भी परमिट का प्रत्यर्पण किया जा सकता है।***

(iv) कार्यालय द्वारा कागजात की जाँच करना :– परमिट निर्गत करने से पूर्व वाहन के सभी मान्य कागजात यथा प्रदूषण प्रमाण–पत्र, बीमा, दुरूस्ती प्रमाण–पत्र, टैक्स, लंबित जुर्माना, वी0एल0टी0डी0, विहित प्रपत्र में मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, अधिरोपित जुर्माना, शपथ–पत्र इत्यादि की जाँच कर एवं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार संबंधित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर परमिट प्रिंट करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित लिपिक द्वारा पुनः उपर्युक्त तथ्यों की जाँच कर हस्ताक्षर हेतु परमिट उपस्थापित की जायेगी।

(अनुपालनः आर0टी0ए0 सचिव/लिपिक/ऑपरेटर)

(v) परमिट सिर्फ यात्री परिवहन हेतु :– ऐसी भी शिकायते प्राप्त हो रही है कि वाहन स्वामियों द्वारा परमिट स्टेज कैरेज के नाम पर प्राप्त किया जाता है परन्तु उसका परिचालन स्कूल बस के रूप में कराया जाता है। टाईम स्लॉट घेर कर रखने से अन्य वाहन परमिट प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। प्राधिकार से स्टेज कैरेज परमिट प्राप्त कर स्कूल बस के रूप में परिचालित होने वाले बसों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परमिट रद्द करने का निर्णय लिया गया है। **बस में व्यावसायिक उपयोग हेतु सामान ढोना/छत पर सामान रखना प्रतिबंधित है**। इससे विद्युत तार से सम्पर्क होने एवं दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में आयुक्त–सह–अध्यक्ष द्वारा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि इस तरह के मामले की जाँच कर विधि सम्मत् कार्रवाई करना सुनिशिचित करेगें। CCTV footage/Toll Plaza के प्रतिवेदन के आधार पर भी जुर्माना/कार्रवाई की जा सकती है।

कतिपय वाहन स्वामी स्टेज कैरेज (पाँच वर्ष) का परमिट प्राप्त कर स्कूल बस में परिचालित करते हैं एवं टाईम स्लॉट घेर कर रखते हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। **प्राधिकार की बैठक**

दिनांक–30.12.2024 में ऐसा एक मामला संज्ञान में आया था, जिसका परमिट रद्द करने का निर्णय प्राधिकार द्वारा लिया गया था।

स्टेज कैरेज का परमिट प्राप्त कर यात्री बस के रूप में परिचालन नहीं करना परमिट के शर्त्तों का उल्लंघन है। शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे सभी वाहनों की जाँच करायी जायेगी एवं परिचालन नहीं पाये जाने की स्थिति में कार्रवाई करते हुए नियमानुसार परमिट रद्द कर दिया जायेगा।

(अनुपालनः सभी डी0टी0ओ0 सारण, प्रमण्डलान्तर्गत/सभी परमिटधारी)

(vi) <u>आपत्तिकर्ता का दायित्व</u> :- आपत्तिकर्ता द्वारा अपने जिस वाहन से दूसरे वाहन के परमिट हेतु प्राप्त आवेदन पर आपत्ति दिया जाता है, उस वाहन का भी सभी मान्य कागजात यथा– टैक्स, दुरूस्ती प्रमाण–पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण–पत्र, VLTD इत्यादि अद्यतन होना अनिवार्य है, तभी उनके आपत्ति आवेदन पर विचार किया जाएगा। यदि आपत्तिकर्ता/उनके ग्रुप के किसी भी वाहन के कागजात अद्यतन नहीं है या जुर्माना बकाया है तो ऐसी स्थिति में आपत्तिकर्ता पर देय जुर्माना के अतिरिक्त 10000=00 रूपये का जुर्माना लगाने का निर्णय प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है। इससे आपत्तिकर्ता आपत्ति से पहले अपने **स्वयं के वाहनों के कागजात नियमसंगत है या नहीं, का सत्यापन कर ही आपत्ति देने के लिए प्रेरित होंगे।** आपत्ति के लिए विहित प्रपत्र में सभी विवरणी अंकित कर निर्धारित समय सीमा में कार्यालय के काउन्टर नं0–01 अथवा कार्यालय के ई–मेल– rtasaranbihar@gmail.com पर भेजें, इससे कार्यालय को कार्यावली तैयार करने में सुगमता होगी।

प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय वाहन स्वामी तथ्यात्मक आपत्ति नहीं करते हैं एवं स्वयं के संबंध में कई बिन्दुओं को छुपाकर शिकायत करते हैं। इस क्रम में बैठक में उपस्थित सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि प्राधिकार की आगामी बैठक से स्वयं के बैनर के अंतर्गत संचालित वाहनों की विवरणी शपथ–पत्र/स्व–घोषणा पत्र में उल्लेखित करते हुए तथ्यात्मक शिकायत करेंगे एवं शिकायत के संबंध में शिकायत का आधार एवं तत्संबंधी वांछित साक्ष्यों की प्रति भी संलग्न करेंगे, जिससे उनके शिकायत पर विचारोपरान्त उचित निर्णय लिया जा सके। सुलभ प्रसंग हेतु शपथ–पत्र/स्व–घोषणा पत्र एवं आपत्ति आवेदन दाखिल करने संबंधी आवेदन–पत्र का Sample प्रारूप कार्यालय के बेवसाईट पर Sample Document के सेक्शन में सुलभता हेतु Upload कर दी गई है।

नोटः– (1) यथासंभव वाहन स्वामी के तरफ से ही आपत्ति दाखिल किया जायेगा एवं बैठक में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा जायेगा। <u>विशेष परिस्थिति में ही वाहन स्वामी के तरफ से अन्य व्यक्ति द्वारा आपत्ति दाखिल किया जायेगा एवं बैठक में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा जायेगा, जिसके लिए वाहन स्वामी के तरफ से विधिवत रूप से प्राधिकृत पत्र/एकरारनामा की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।</u> अन्यथा की स्थिति में आपत्ति आवेदन को प्राधिकार द्वारा खारिज किया जा सकता है।

(2) आवेदित मार्ग से भिन्न मार्ग पर समय टकराव के बिंदू पर आपत्ति करने की स्थिति में आपत्तिकर्त्ता अपने जिस वाहन से आपत्ति कर रह रहे हैं, वे उस परमिट के मार्ग का नक्शा अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे, ताकि स्पष्टता से जॉच की जा सके कि आवेदित मार्ग एवं आपत्तिकर्त्ता के परमिट का मार्ग एक–दूसरे को कितना प्रतिशत आच्छादित कर रही है, अन्यथा आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

(3) प्राधिकार की बैठक में यह संज्ञान में आया है कि कई आपत्तिकर्त्ता द्वारा स्वयं के परमिट से आपत्ति न देकर किसी अन्य के परमिट से आपत्ति दे देते हैं, जिसमें कई तरह की विसंगतियॉ पायी जाती है और कई बार उक्त वाहन स्वामी द्वारा लिखित रूप से कार्यालय में आवेदन समर्पित किया जाता है कि उक्त आपत्ति उनके द्वारा समर्पित नहीं की गई है। इसलिए प्राधिकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आपत्तिकर्त्ता स्वयं के वाहन से हीं आपत्ति देना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा एवं छद्मनाम से आपत्ति देने वाले

व्यक्ति/वाहन स्वामी की जॉच कर उनके उपर जुर्माना के साथ विधिसम्मत् दंडात्मक कार्रवाई भी की जायेगी।

(4) यह भी देखा जा रहा है कि आपत्तिकर्त्ता द्वारा केवल मुजफ्फरपुर प्राधिकार में चलने वाली वाहन के परमिट से सारण प्राधिकार एवं मुजफ्फरपुर प्राधिकार में चलने हेतु दिये गये आवेदन के समय-सारणी पर आपत्ति दर्ज करायी जा रही है, जो उचित नहीं है। इसलिए सारण प्राधिकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्राप्त होने वाले आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(अनुपालनः संबंधित वाहन स्वामी/संबंधित आपतिकर्त्ता)

9. **नये आवेदन** :-

(i) परमिट हेतु आवश्यक कागजात :- परमिट हेतु निर्णय ऑनलाईन आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजात के आधार पर लिया जाता है, परन्तु किसी प्रकार की त्रुटि न हो तथा कार्यालय अभिलेख के लिए आवश्यक कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना या ई-मेल rtasaranbihar@gmail.com पर भेजना आवश्यक है। अतएव सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि निम्न कागाजातों के साथ आवेदन करेंगे:-

(a) निबंधन-पुस्त की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(b) टैक्स की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(c) दुरूस्ती प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(d) बीमा प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(e) प्रदूषण प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(f) वाहन के अन्दर, बाहर एवं चारों तरफ का वाहन स्वामी के साथ रंगीन फोटोग्राफ आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। इससे वाहन के अन्दर बैठान क्षमता, ए०सी०/नॉन ए०सी०, उस बस पर अंकित समूह/बैनर, बस संख्या एवं बसों के दोनों तरफ अंकित परमिट की विवरणी आदि का पता चल सके।

(g) परमिट आवेदन पर मार्ग संख्या अंकित करते हुए यह भी उल्लेख करेंगे कि वाहन स्लीपर है या सीटर है।

(h) विहित प्रपत्र में शपथ-पत्र (*अनुलग्नक-1*)।

(i) VLTD स्थापित एवं सक्रिय होने संबंधी विवरणी की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(j) मार्ग का वैध नक्शा।

(k) मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र अनुलग्नक-2 में) ऑनलाईन आवेदन के List of Documents के क्रमांक 22 में फिटनेश प्रमाण-पत्र के साथ स्कैन कर अपलोड करेंगे।

(l) समय-सारणी (विहित प्रपत्र में) -दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगे समय का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। दूरी एवं संगत समय का गलत उल्लेख करने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

<u>प्रपत्र</u>

वाहन संख्या-............... रूट संख्या-.......... (..................से............तक) वाया-.............

पड़ाव स्थल	वाहन के आगमन का समय	वाहन के प्रस्थान का समय	दो क्रमागत बस पड़ावों के बीच की दूरी	उक्त दूरी को तय करने में लगने वाला समय

(ii) <u>अपूर्ण आवेदन</u> :- प्रायः ऐसा देखा गया है कि कई आवेदक परमिट हेतु आवेदन करते समय भूल कर देते हैं। जैसेः– वाहन की निबंधन संख्या लिखने में, तो कुछ का समय–सारणी में **दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी** एवं उस दूरी को तय करने में लगने वाले समय लिखने में, या वाहन के चारों तरफ का फोटो संलग्न करने में, VLTD ऑनलाइन नहीं कराने में या मोटरयान निरीक्षक का प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में) संलग्न नहीं करने में, या शपथ–पत्र में बैनर का नाम नहीं लिखने में।

ऐसे मामलो को प्रत्येक लिपिकीय भूल/त्रुटि के लिए 5000/–रूपये की दर से जुर्माना लगाकर उनके आवेदन पर विचार करने का निर्णय प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

चूँकि अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन से समय–सारणी एवं अन्य बिन्दुओं की सही जानकारी प्रतिद्वंदी अथवा पूर्व परमिटधारी नहीं हो पाने के कारण उचित आपत्ति देने एवं सही तथ्यों की जानकरी नहीं रहने पर कर्यालय से भी गलती होने की संभावना रहती है। त्रुटिपूर्ण आवेदन पर जुर्माना लगाते हुए विचार करने का निर्णय प्राधिकार द्वारा आवेदकों को त्रुटिरहित आवेदन के लिए प्रेरित करने एवं पारदर्शिता हेतु लिया गया है। **यह सिर्फ एक विकल्प होगा, यदि आवेदकगण जुर्माना नहीं देना चाहेगें तो वे पुनः नियमानुसार एवं विहित प्रक्रियानुसार शुल्क जमा कर उपलब्ध रिक्त Time slot में आवेदन कर सकते हैं तथा** जो आवेदक जुर्माना जमा करने का विकल्प चुनते हैं, वे जुर्माना की राशि Tax Receipt शीर्ष **R0041001020014-00-03** में जमा कराकर कार्यालय में विहित प्रपत्र में शपथ–पत्र के साथ सूचना देगें। तत्पश्चात् परमिट निर्गत किया जाएगा।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी स्थिति में आवेदित समय–सारणी (Time-Table) में सुधार/संशोधन एवं अन्य साक्ष्य को संलग्न नहीं किया जायेगा। ऐसे अपूर्ण आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा, जिसके लिए वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(अनुपालनः आर0टी0ए0 सचिव/सभी परमिटधारी)

(iii) <u>आवेदक/आपत्तिकर्त्ता या उनके बैनर के तहत संचालित वाहनों पर जुर्माना लंबित होने पर भी परमिट हेतु आवेदन/आपत्ति करने पर अतिरिक्त जुर्माना</u> :– यदि किसी आवेदक/आपत्तिकर्त्ता द्वारा अपने वाहन पर जुर्माना की राशि लंबित होने के बावजूद आवेदन/आपत्ति समर्पित किया जायेगा तो लंबित जुर्माना के अतिरिक्त जुर्माना लगाया जायेगा। डिफॉल्टर होने के बावजूद आवेदन/आपत्ति समर्पित करना नियमानुकूल नहीं है, क्योंकि जो आवेदक/आपत्तिकर्ता स्वयं कानून का उल्लंघन कर रहा है या Defaulter है उसे लाभ/अपना दावा/परमिट प्राप्त करने का कोई हक नहीं है। **ऐसे आवेदकों/आपत्तिकर्ताओं पर लंबित जुर्माना के अतिरिक्त 10000/– रूपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाने का निर्णय प्राधिकार द्वारा लिया गया है, ताकि वाहन स्वामी अपने वाहन पर बकाये जुर्माना एवं टैक्स ससमय जमा करने हेतु प्रेरित होंगे।**

यदि जुर्माना लंबित रहने की स्थिति में प्राधिकार द्वारा अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाता है अथवा आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो इसके लिए वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

अतः बस मालिकों से अनुरोध है कि यदि आपके ग्रुप/बैनर के किसी वाहन पर पूर्व से अधिरोपित जुर्माना बकाया है, तो बकाया जुर्माना जमा करने के पश्चात् हीं नये परमिट हेतु आवेदन करें एवं यदि आवेदन करने के पश्चात् आपके ग्रुप/बैनर के किसी वाहन पर जुर्माना अधिरोपित हो जाता है तो उसे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक से पहले निश्चित रूप से जमा कर दें।

(iv) <u>प्राधिकार की बैठक में भाग लेना</u> :– प्राधिकार की बैठक में संबंधित वाहन के स्वामी या आपत्तिकर्त्ता स्वयं अपने वैध पहचान पत्र के साथ भाग लेंगे। कई वाहन स्वामी अन्य आवेदकों के लिए आवेदन/आपत्ति देते हैं या बैठक में पक्ष रखते हैं, जो उचित नहीं है।

(v) <u>कार्यवाही में अंकित एवं अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी वाहनों के कागजात की जाँच करना</u>:– संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, सारण प्रमण्डल अंतर्गत को निदेश है कि प्राधिकार की कार्यवाही में अंकित सभी वाहनों एवं अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत परिचालित होने वाले वाहनों के सभी कागजातों यथा–टैक्स, फिटनेश, बीमा, प्रदूषण, VLTD, परमिट आदि की

जॉचकर नियमानुसार जुर्माना एवं कार्रवाई करेंगे तथा सभी कागजात अद्यतन करवाना सुनिश्चत करेंगे। **अद्यतन कागजात के बिना वाहन के परिचालन होने पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/अपर जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्त्तन निरीक्षक/प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक की भी जवाबदेही तय की जायेगी।**

अतएव सभी जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यवाही में अंकित वाहनों के साथ–साथ अपने क्षेत्राधिकार में निबंधित एवं परिचालित होने वाले सभी वाहनों की कागजातों की जाँच करना सुनिश्चित करेंगे कि बिना अद्यतन कागजात वाले वाहनों का परिचालन न हो एवं कृत कार्रवाई की सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायेगें।

(vi) कार्यालय में हंगामा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई :– सभी बस मालिकों को निदेश दिया गया कि कार्यालय में ऑनलाईन या E-mail के माध्यम से आवेदन समर्पित करेगें। यदि किसी कार्य हेतु कार्यालय में आना पड़े तो काउण्टर संख्या–1 पर आवेदन समर्पित करेंगे। यदि किसी कार्यालय कर्मी के कार्य/व्यवहार से असंतुष्ट हो तो आर0टी0ए0 सचिव से इसकी शिकायत कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में कार्यालय कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कार्यालय में हंगामा करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

(vii) समान मार्ग संख्या वाले परमिट से ही कार्यालय अभ्युक्ति :– मुख्य बिन्दु या मध्य बिन्दु पर समय का टकराव होने की स्थिति में आवेदित वाहन को बाईपास/ट्रिप कटाव किया जाता है। प्राधिकार द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक कॉमन रूट को समान रूट मानकर ट्रिप कटाव किया जाता है।

(viii) यात्रियों की सुविधा हेतु परमिट को निर्गत किया जाना :– क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु परमिट स्वीकृत किया जाता है। कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा **लगातार टाईम स्लॉट में चार–पाँच परमिट प्राप्त किया जाता है एवं एक वाहन का परिचालन किया जाता है।** टाईम–स्लॉट घेर कर रखा जाता है ताकि अन्य आवेदक उक्त समय पर आवेदन न कर सके।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे सभी वाहनों का VLTD रिपोर्ट एवं टॉल प्लाजा रिपोर्ट प्राप्त कर परिचालन होने के संबंध में जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं **परमिट से आवृत्त वाहनों का परिचालन नहीं पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार परमिट रद्द कर दिया जाएगा एवं टाईम–स्लॉट फ्री कर दिया जाएगा, ताकि उक्त टाईम–स्लॉट पर अन्य वाहन स्वामी आवेदन कर सके, जिससे कि यात्रीगणों को सुविधा मिल सके।**

(ix) फर्जी बीमा प्रमाण–पत्र के संबंध में कार्रवाई :– *फर्जी बीमा के आधार पर वाहन का संचालन करना BNS के तहत गंभीर आपराधिक कृत्य है एवं MV Act,1988, CMV Rule,1989 एवं बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। साथ हीं यात्रीगणों को दुर्घटना की स्थिति में कोई मुआवजा/लाभ भी देय नहीं हो सकेगा।*

अतएव इस संबंध में प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि किसी वाहन का बीमा प्रमाण–पत्र फर्जी पाया जायेगा तो संबंधित वाहन का परमिट रद्द करने के साथ–साथ संबंधित वाहन स्वामी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत् कार्रवाई की जाएगी।

(x) बैठक के तिथि से दो दिन पूर्व परमिट प्रत्यर्पण करना :– वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि ***वैसे परमिट जिसके टाईम स्लॉट से किसी आवेदित वाहन के टाईम स्लॉट से टकराव हो रहा हो एवं उस परमिट को वे प्रत्यर्पित करना चाहते है, तो वे ऐसे परमिट को प्राधिकार की बैठक की तिथि से दो दिन पूर्व तक कार्यालय में प्रत्यर्पित कर सकते हैं, ताकि उक्त टाईम स्लॉट को रिक्त मान कर आवेदित वाहन को परमिट स्वीकृत करने पर विचार किया जा सके, अन्यथा उक्त अवधि के बाद परमिट प्रत्यर्पण करने पर प्रत्यर्पित परमिट के टाईम स्लॉट को रिक्त नहीं मानते हुए आवेदित वाहन के परमिट पर विचार किया जायेगा।***

(xi) <u>दो पड़ावों के बीच दूरी</u> :– कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अलग–अलग दूरी के संबंध में साक्ष्य/आपत्ति दिया जाता है। इस संबंध में प्राधिकार के पूर्व निर्णय के अनुसार **विभागीय पोर्टल में अंकित दूरी को सही मानकर परमिट स्वीकृत/निर्गत करने पर विचार किया जाता है।** यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा दूरी के संबंध में प्रतिवाद/आवेदन दिया जाता है तो उक्त दूरी के संबंध में सक्षम पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर यदि आवश्यक हुआ तो विभाग को पोर्टल में सुधार करने हेतु भेजा जाएगा। तत्पश्चात् यदि किसी मार्ग की दूरी में विभाग द्वारा सुधार किया जाता है, तो यह दूरी विभाग द्वारा पोर्टल में सुधार के बाद की तिथि से प्राप्त आवेदन के लिए मान्य होगी।

इस संबंध में उपस्थित सभी वाहन स्वामियों से पुनः अनुरोध किया गया कि यदि किसी मार्ग की दूरी में भिन्नता हो या दूरी के संबंध में कोई शिकायत हो तो उस मार्ग का नाम, भाया एवं मार्ग की संख्या सहित उस मार्ग का नक्शा संलग्न कर सुधार हेतु प्राधिकार को आवेदन समर्पित करें। उस आवेदन के आलोक में सक्षम पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी से जाँच करायी जायेगी। यदि आवश्यक हुआ तो विभागीय पोर्टल में पूर्व से दर्ज दूरी में अपेक्षित सुधार हेतु अनुशंसा विभाग को भेजी जायेगी।

(xii) <u>High Security Registration Plate</u> :– केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 50 एवं 51 में निहित प्रावधानों के तहत सभी वाहनों में H.S.R.P. लगाना अनिवार्य किया गया है। बैठक में प्राप्त कतिपय आवेदित वाहनों/आपत्तिकर्त्ता के वाहनों में H.S.R.P. लगे नहीं होने के कारण जुर्माना के शर्त पर परमिट स्वीकृत किया गया है। अतः सभी संबंधित वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि अपने वाहन में H.S.R.P. लगवा लें एवं ऑनलाईन भी अपडेट करा लें।

कतिपय वाहनों में स्थानीय दुकानों/फुटपाथों पर स्थापित दुकानों द्वारा मूल निबंधन संख्या की जगह दूसरे निबंधन संख्या का फर्जी नम्बर प्लेट लगा दिया जाता है, जिसके कारण E-Challan निर्गत होने पर पता चलता है कि जिस वाहन का चालान निर्गत किया गया है, वह किसी अन्य स्थान पर है। फर्जी निबंधन प्लेटों/नंबर प्लेटों पर अंकुश लगाना अनिवार्य है।

अतएव सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि अपने क्षेत्राधिकार में बिना H.S.R.P. (अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) के परिचालित होने वाले सभी बसों की जाँच कर नियमानुसार जुर्माना/कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(xiii) <u>मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना</u> :– परिवहन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–8866, दिनांक–09.07.2024 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अन्तर्गत कुल–2005 नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गो को अधिसूचित किया गया है। MMPPY योजना के तहत् प्राप्त बसों के मालिको से अनुरोध है कि वे **योजना अन्तर्गत अधिसूचित मार्ग पर हीं परिचालन** हेतु आवेदन समर्पित करेंगे, अन्यथा उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

10. अन्यान्य :–

(i) <u>परमिट की प्रति वाहन पर चस्पा करने के संबंध में</u> :– *प्राधिकार की बैठकों में प्रायः यह देखा गया है कि वाहन स्वामी एक–दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि अमूक व्यक्ति द्वारा अपने वाहन का परिचालन मेरे समय–सारणी के पहले/आगे–आगे कराते हैं एवं मना करने पर कहते हैं कि इस टाईम का परमिट मुझे प्राप्त है तथा परमिट की प्रति दिखाने को कहने पर परमिट की प्रति नहीं दिखाते हैं, जिससे वाहन स्वामियों के बीच अक्सर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं।*

उपरोक्त के मद्देनजर सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वे अपने वाहन के परमिट की छायाप्रति वाहन के अंदर से उचित स्थान पर यथा–window glass आदि पर पठनीय भाग बाहर की ओर करके चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अन्य वाहन स्वामी के साथ–साथ यात्रीगण भी उस बस के समय–सारणी को देख सकें। इससे वाहन स्वामियों के बीच इस बिंदु पर आपसी विवाद उत्पन्न नहीं होगा तथा यात्रिगणों को भी समय की दृष्टिकोण से यात्रा करने में सुविधा होगी।

यदि चस्पा किये गये परमिट की प्रति किसी के द्वारा नुकसान कर दिये जाने या किसी तरह क्षतिग्रस्त होने या अपठनीय होने की स्थिति में समय–सारणी को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद से प्रभावित होने वाले परमिटधारी को दूसरे वाहन के परमिट को देखने का अधिकार होगा।

(ii) नये मार्ग अधिसूचित करने के संबंध में :– क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि नया मार्ग अधिसूचित कराने हेतु कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो उसकी आवश्यकता की जाँच संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से करायी जायेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी से अनुशंसा प्राप्त होने पर उक्त मार्ग को अधिसूचित करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जायेगा। **पुनः इस बैठक में उपस्थित सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि यदि कोई महत्वपूर्ण मार्ग अधिसूचित कराना रह गया हो तो इस आशय का आवेदन प्राधिकार को समर्पित करें।**

(iii) विहित प्रपत्र में मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन :– सभी मोटरयान निरीक्षक, सारण प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश है कि यदि संबंधित वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन का भौतिक जॉच/सत्यापन हेतु आवेदन समर्पित किया जाता है तो नियमानुसार आवेदित वाहन का निरीक्षण/भौतिक जॉच कर वस्तु स्थिति की सूचना विहित प्रपत्र में अंकित करते हुए सत्यापित करना सुनिश्चित करेंगे।

(iv) दूसरे राज्य में बकाये जुर्माना के संबंध में विकल्प/प्रावधान :– प्राधिकार की विभिन्न बैठकों में बकाये जुर्माने के संबंध में प्रायः यह वाहन स्वामियों द्वारा कहा जाता है कि उनके वाहन पर बकाया जुर्माना अन्य राज्य यथा–उत्तर प्रदेश, आदि राज्य से संबंधित है, जहॉ उनके जुर्माना से संबंधित मामला न्यायालय में चला गया है, जिस कारण उनका जुर्माना शीघ्र/ऑनलाईन माध्यम से जमा नहीं हो पा रहा है। इस क्रम में प्राधिकार की बैठक दिनांक–27.02.2025 में उपस्थित वाहन स्वामी श्री अवधेश प्रसाद, पिता–स्व0 वशिष्ठ प्रसाद, ग्राम–विशुनपुर, थाना–महाराजगंज, जिला–सिवान द्वारा बताया गया कि उनके वाहन सं0–BR29M-7375 पर मात्र 500/–रूपये का जुर्माना बकाया है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसे जमा करने हेतु वे कई बार न्यायालय जा चुके हैं एवं इस क्रम में जुर्माने की राशि से कई गुना अधिक राशि खर्च कर चुके हैं। फिर भी उक्त जुर्माना अबतक जमा नहीं हो पाया है। इस बकाये जुर्माने के कारण उनके वाहन का फिटनेश भी अद्यतन नहीं हो पा रहा है, जिस कारण उक्त वाहन का परमिट भी रद्द हो गया। बैठक में दानी मौर्यध्वज बैनर के तरफ से उपस्थित श्री बिरेन्द्र राय द्वारा भी बताया गया कि उनके बैनर के अंतर्गत संचालित वाहन पर बकाया राशि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, जहॉ इनका मामला भी न्यायालय में चला गया है, जिस कारण ऑनलाईन माध्यम से अथवा शीघ्र जमा नहीं हो पायेगा।

चूँकि प्राधिकार द्वारा वैसे वाहन स्वामियों, जो सरकार का राजस्व/जुर्माना बकाया रखकर अपने वाहन का परिचालन करते हैं, को प्रोत्साहित नहीं करने एवं बकाया जुर्माना ससमय जमा करने हेतु प्रेरित करने के दृष्टिकोण एवं उद्येश्य से परमिट की स्वीकृति नहीं दी जाती है अथवा पूर्व से बकाये टैक्स/जुर्माना जमा करने के साथ अतिरिक्त जुर्माना के शर्त पर परमिट की स्वीकृति दी जाती है। उपरोक्त स्थिति/प्रावधान के कारण कई बार कतिपय वाहन स्वामी परमिट से वंचित रह जाते हैं।

प्राधिकार की बैठक दिनांक–27.02.2025 में उपस्थित कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा कहा गया कि *"हमलोग उतनी राशि, जितनी अन्य राज्य में या न्यायालय में लंबित है, को यहॉ की शीर्ष में जमा करने के लिए तैयार हैं। कृपया बकाये जुर्माना की राशि यहॉ की शीर्ष में जमा कराकर परमिट की स्वीकृति दिया जाय।"*

अतः उपरोक्त के मद्देनजर एवं वाहन स्वामियों के अनुरोध के आलोक में प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–

(क) वाहन स्वामी यदि चाहें तो उतनी राशि, जितनी अन्य राज्य के न्यायालय में लंबित है, जो शीघ्र जमा नहीं हो पा रहा है, को Tax Receipt शीर्ष **R0041001020014-00-03** में अपने स्वेच्छा से एक शपथ–पत्र के साथ जमा करते हैं, तो परमिट की स्वीकृति एवं निर्गमन की जा सकेगी, परन्तु शपथ–पत्र इस आशय का संलग्न होना अनिवार्य होगा कि ***अमूक राशि अमूक राज्य के न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण जमा नहीं हो पा रहा है, जिस कारण अपने स्वेच्छा से परमिट प्राप्त करने हेतु उक्त राशि जमा कर रहा हूँ/कर रही हूँ एवं जमा की गई उक्त राशि वापस लेने हेतु भविष्य में कभी दावा नहीं करूँगा/करूँगी तथा अमूक राज्य के न्यायालय में विचाराधीन जुर्माना भी जब जमा होगा, तब जमा कर दूँगा/कर दूँगी।***

(ख) जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी एवं अमूक राज्य में/अमूक राज्य के न्यायालय में लंबित जुर्माने की राशि से मुक्ति नहीं होगी। यानि बकाया राशि भविष्य में उस राज्य/ न्यायालय में भी जमा करना होगा।

(ग) उपरोक्त प्रावधान सिर्फ वैकल्पिक होगा। आवेदक यदि चाहें तो उक्त विकल्प को नहीं मानकर बकाया जुर्माना जमा करने के पश्चात् पुनः परमिट हेतु आवेदन कर सकते हैं।

(v) <u>नियमों का उल्लंघन कर वाहनों का अवैध परिचालन करने संबंधी प्राप्त शिकायतों के संबंध में</u> :– विभिन्न स्रोतों से एवं प्राधिकार की बैठक में भी कतिपय आवेदकों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है कि झारखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के निबंधन संख्या वाले कुछ वाहनों को सारण प्रमंडल अंतर्गत विभिन्न मार्गों यथा–सारण, सिवान, गोपालगंज से रॉची, टाटा, बोकारो (झारखंड), दिल्ली के मार्गों पर अवैध ढंग से परिचालन किया जा रहा है। इन बसों के पास न तो परमिट होते हैं और न हीं इनके कागजात यथा–टैक्स, बीमा, आदि अद्यतन होते हैं।

बिना परमिट एवं बिना अद्यतन कागजातों के किसी भी वाहन का परिचालन करना नियमाकूल नहीं है। यदि ऐसे वाहनों का परिचालन सारण RTA के क्षेत्र में किया जा रहा है तो उसकी जॉच कर नियमानुसार जुर्माना/कार्रवाई करते हुए उसके परिचालन पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं RTA, सचिव को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त में वर्णित शिकायतों के आलोक में अपने टीम के साथ उपरोक्त तथ्यों की जॉच करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्राधिकार अंतर्गत ऐसे किसी वाहन, जिसके पास वैध परमिट एवं वैध कागजात न हो, का परिचालन नही किया जा रहा है।

अन्त में सधन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

30/06/26	30/06/2026	
अपर समाहर्त्ता, सारण (राजस्व) –सह– **सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण छपरा।**	संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा। 30/06/2026	आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा।

ज्ञापांक 134 / सारण, दिनांक 30 / 06 / **2026**

प्रतिलिपि :– सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण/सिवान/गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, क्षेत्रीय परि0 प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

30/06/2026

त आयुक्त–सह–सचिव,
त्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की बैठक

दिनांक–23.06.2026 की कार्यवाही।
समयः– अपराह्न 03:00 बजे।
स्थानः– आयुक्त कार्यालय सभागार (हाईब्रिड मोड)।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की बैठक दिनांक–23.06.2026 की कार्यावली की विवरणीः–				पृष्ठ सं0
कार्यावाली सं0–01	1	गत बैठक दिनांक–15.05.2026 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन।		
कार्यावली सं0–02		प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची।	परिशिष्ट–I	
	(i)	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट (1–28 दिन तक)		
	(ii)	सम्पुष्टि की प्रत्याशा में नामांतरित किये गये परमिटों की सूची।		
	(iii)	स्थायी सवारी गाड़ी के प्रतिस्थापित किये गए परमिटों की सूची।		
	(iv)	स्थायी सवारी गाड़ी के नवीकरण किये गए परमिटों की सूची।		
	(v)	प्राप्त आवेदन के आलोक में स्थायी सवारी गाड़ी के परमिट प्रत्यर्पण की संख्या।		
कार्यावली सं0–03	(i)	बसों के स्थायी परमिट (स्टेज कैरेज परमिट) निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचारण।	परिशिष्ट–I	
	(ii)	अन्य प्राधिकार से निर्गत स्थायी सवारी गाड़ी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों एवं पूर्व से लंबित आवेदनों पर विचारण।	परिशिष्ट–	

परिशिष्ट–I

कार्यावली सं0–01	
गत बैठक दिनांक–15.05.2026 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन।	अनुपालन हो रहा है।

कार्यावली सं0–02(i-v)

प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची, दिनांक–15.05.2026 से 22.06.2026 तक।

(i)	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट (1–28 दिन तक) –13
(ii)	सम्पुष्टि की प्रत्याशा में नामांतरित किये गये परमिटों की सूची–
(iii)	स्थायी सवारी गाड़ी के प्रतिस्थापित किये गए परमिटों की सूची–2
(iv)	स्थायी सवारी गाड़ी के नवीकरण किये गए परमिटों की सूची–2
(v)	प्राप्त आवेदन के आलोक में स्थायी सवारी गाड़ी के परमिट प्रत्यर्पण की संख्या–4

कार्यावली संख्या–3(i) बसों के स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु दिनांक–01.06.26 से 07.06.26 तक प्राप्त आवेदनों एवं आपतियों पर विचारण:

प्राप्त आवेदनों की विवरणी				प्राप्त आपत्ति से संबंधित विवरणी		कार्यालय स्तर पर की गई समीक्षा की विवरणी		
क्र0 सं0	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या, निबंधन की तिथि एवं कागजातों की वैधता	मार्ग, मार्ग संख्या, प्रस्थान का समय	आपत्ति	आपत्तिकर्त्ता के वाहन की विवरणी	कार्यालय का तथ्य	कार्यालय तथ्य में वर्णित वाहन की विवरणी	निर्णय
1.	श्री आलोक कुमार पाण्डेय, पिता– श्री राम ऐकवाल पाण्डेय,ग्राम– पूर्वी पकड़ी, थाना– डुमरिया घाट, जिला–पू0चम्पारण बैनर का नाम– **आलोक बस सर्विस**	**BR01PL-2017** नि0तिथि 04.03.21 टैक्स–19.08.26 फिट0–25.05.27 बीमा–03.07.26 प्रदूषण–17.02.27 VLTD–16.06.27 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	सिवान–मोतिहारी **मार्ग सं0–2199** सिवान प्र0–05:51 मोतिहारीप्र0–09:39 सिवान प्र0–13:03 मोतिहारीप्र0–16:52	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन परमिट से आवृत नही है।* आवेदित बस के आवेदक पर फर्जी बीमा के कारण नगर थाना, छपरा में दि0–04.08.25 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में जमानत से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मैं जमानत की प्रक्रिया में हूँ। इसलिए अनुरोध किया गया है कि जमानत की शर्त पर मेरे आवेदन को स्वीकृत किया जाय। साथ ही राजेश कुमार, गोपालगंज द्वारा बिना आपति शुल्क एवं बिना अपने वाहन सं0 के आपति आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो नियमानुसार विचारणीय नहीं है।		आवेदित बस के आवेदक पर फर्जी बीमा के कारण नगर थाना, छपरा में दि0–04.08.25 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा उक्त मामला माननीय न्यायालय के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है। आवेदक द्वारा बैठक की तिथि तक अपने जमानत से संबंधित साक्ष्य भी कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है, जिससे कि उनके आवेदन पर विचार किया जा सके। अतः उक्त के आलोक में **परमिट अस्वीकृत।**
2.	श्री राजेश कुमार, पिता–विश्वनाथ प्रसाद, सिनेमो रोड, गोपालगंज। बैनर का नाम– **KGN**	**BR28P-4851** नि0ति0–10.06.23 टैक्स–09.06.26 फिट0–17.06.27 बीमा–29.05.27 प्रदूषण–08.06.27 VLTD–27.06.26 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	गुठनी–रक्सौल **मार्ग सं0–3675** गुठनी प्र0–04:32 रक्सौल प्र0–11:49	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक–04.11.24 को निर्गत है।* *आलोक कुमार पाण्डेय द्वारा बिना आपति शुल्क का आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित वाहन पर पूर्व से आवतृत परमिट मुज0 प्राधि0 से प्रतिहस्ताक्षर नहीं है, परन्तु इसके संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए आपति आवेदन विचारणीय नहीं है।*		स्वीकृत।

3	श्री आलोक कुमार पाण्डेय, पिता– श्री राम ऐकवाल पाण्डेय,ग्राम– पूर्वी पकड़ी, थाना– डुमरिया घाट, जिला–पू0चम्पारण बैनर का नाम– **आलोक बस सर्विस**	BR05PB-5361 नि0तिथि–24.03.21 टैक्स–30.04.26 फिटनेश–19.03.27 बीमा–03.07.26 प्रदूषण–11.05.27 VLTD–15.06.28 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	सिवान–मोतिहारी **मार्ग सं0–2199** सिवान प्र0–**05:26** मोतिहारीप्र0–08:43 सिवान प्र0–14:47 मोतिहारीप्र0–17:50	आपतिकर्ता–राजेश कुमार, पिता–विश्वनाथ प्रसाद, परमिट सं0– BR2024-SC-2373A आवृत वाहन सं0– BR28P-4851, मार्ग–रक्सौल–गुठनी, मार्ग सं0–3675डा0 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक सिवान प्र0–05:26 आपतिकर्ता सिवान प्र0–05:25 अंतराल–01 मिनट (आपतिकर्ता का क्रं0–2 पर आवेदन आवेदित है)	BR28P-4851 नि0ति0–10.06.23 टैक्स–09.06.26 फिट0–17.06.27 बीमा–29.05.27 प्रदूषण–08.06.27 VLTD–27.06.26 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।* आवेदित बस के आवेदक पर फर्जी बीमा के कारण नगर थाना, छपरा में दि0–04.08.25 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में जमानत से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मैं जमानत की प्रक्रिया में हूँ। इसलिए अनुरोध किया गया है कि जमानत की शर्त पर मेरे आवेदन को स्वीकृत किया जाय।		आवेदित बस के आवेदक पर फर्जी बीमा के कारण नगर थाना, छपरा में दि0–04.08.25 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा उक्त मामला माननीय न्यायालय के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है। आवेदक द्वारा बैठक की तिथि तक अपने जमानत से संबंधित साक्ष्य भी कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है, जिससे कि उनके आवेदन पर विचार किया जा सके। अतः उक्त के आलोक में **परमिट अस्वीकृत।**
4	श्री बिरेश कुमार राय, पिता– हरेराम राय, ग्राम+पो0– सिरसिया, थाना– नौतर, जिला– सिवान। बैनर का नाम– **आलोक बिहार।**	BR01PS-7181 नि0तिथि 28.04.17 टैक्स–14.07.26 फिट0–29.05.27 बीमा–05.02.27 प्रदूषण–26.11.26 VLTD–05.11.27 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–नहीं	मेहरौना–सिवान **मार्ग सं0–3696** मेहरौना प्र0–05:23 सिवान प्र0–07:05 मेहरौना प्र0–08:28 सिवान प्र0–**10:30** मेहरौना प्र0–12:23 सिवान प्र0–14:12 मेहरौना प्र0–15:15 सिवान प्र0–18:30	आपतिकर्ता–धर्मेन्द्र राय, पिता–भरत राय, मैं वाहन सं0–BR29M-5341 का वाहन स्वामी हूँ। यह है कि वाहन सं0– BR29L-0428, का परमिट सं0– BR2022-SC-0033A है, जिसका मार्ग–मेहरौना पुल–सिवान, मार्ग सं0–2183 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक सिवान प्र0–10:30 वाहन सं0– BR29L-0428 सिवान प्र0–10:32 अंतराल–02 मिनट	BR29M-5341 नि0ति0–09.05.13 टैक्स–11.07.26 फिट0–14.05.26 बीमा–26.02.27 प्रदूषण–12.05.26 VLTD–29.04.27 जुर्माना–नहीं .... BR29L-0428 नि0ति0–10.09.12 टैक्स–09.06.26 फिट0–28.08.25 बीमा–02.08.25 प्रदूषण–07.12.26	*आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।*		आपतिकर्ता के वाहन का फिटनेश एवं प्रदूषण तथा जिस वाहन से समय–सारणी का टकराव हो रहा है उसका टैक्स, फिटनेश, बीमा अद्यतन नहीं है। इसलिए आपति विचारणीय नहीं है। अतः उक्त के आलोक में **परमिट स्वीकृत।**

5.	नैमुल हक, पिता–शेख अब्दुल रउफ, वार्ड नं0–1 जंगलिया, गोपालगंज। **बैनर का नाम–**	BR28P-8651 नि0तिथि–15.12.25 टैक्स–14.06.26 फिट0–14.12.27 बीमा–29.12.26 प्रदूषण–15.12.25 VLTD–15.01.28 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	सिवान–मोतिहारी **मार्ग सं0–2199** गुठनी प्र0–03:59 रक्सौल प्र0–11:23	(1) आपतिकर्ता–आलोक कुमार पाण्डेय पिता–भरत राय, परमिट सं0– आवृत वाहन सं0– BR01PL-2017, मार्ग–सिवान–मोतिहारी, मार्ग सं0–2199 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक मोतिहारी प्र0–09:37 आपतिकर्ता मोतिहारी प्र0–09:39 अंतराल–02 मिनट (आपतिकर्ता का क्रं0–1 पर आवेदन आवेदित है) .... (2) आपतिकर्ता–आलोक कुमार पाण्डेय पिता–भरत राय, परमिट सं0– BR2026-SC-0595A आवृत वाहन सं0– BR05PB-8187, मार्ग–साहेबगंज–मोतिहारी, मार्ग सं0–2766 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक मोतिहारी प्र0–17:04 आपतिकर्ता मोतिहारी प्र0–17:06 अंतराल–02 मिनट	BR01PL-2017 नि0तिथि 04.03.21 टैक्स–19.08.26 फिट0–25.05.27 बीमा–03.07.26 प्रदूषण–17.02.27 VLTD–16.06.27 जुर्माना–नहीं .... BR05PB-8187 नि0तिथि 13.02.25 टैक्स–04.08.26 फिट0–12.02.27 बीमा–04.02.27 प्रदूषण–09.02.27 VLTD–18.02.27 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।* आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में रक्सौल से सिवान का नक्शा प्रस्तुत किया गया है, जबकि आवेदन सिवान से मोतिहारी हेतु आवेदित किया गया है एवं शपथ–पत्र में बैनर का नाम भी अंकित नहीं किया गया है, जो नियमानुसार नहीं है।		**प्रथम आपति,** इस कार्यवाही के क्रमांक–1 पर निर्णय के आलोक में मान्य योग्य नहीं है। **द्वितीय आपति** के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपतिकर्ता एवं आवेदनकर्ता का मार्ग भिन्न–भिन्न है तथा 40 प्रतिशत से कम मार्ग एक दूसरे को आच्छादित करता है। इसलिए यह आपति मान्य योग्य नहीं है। अतः आवेदक का आवेदन त्रुटिपूर्ण होने के कारण **मो0 5000/ – रूपये का जुर्माना के साथ परमिट स्वीकृत।**
6.	श्री आलोक कुमार पाण्डेय, पिता–श्री राम ऐकवाल पाण्डेय,ग्राम– पूर्वी पकड़ी, थाना–डुमरिया घाट, जिला–पू0चम्पारण बैनर का नाम– **आलोक बस सर्विस**	BR05PB-3495 नि0तिथि 25.02.20 टैक्स–20.08.26 फिट0–20.04.28 बीमा–03.07.26 प्रदूषण–17.02.27 VLTD–17.02.27 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–नहीं	सिवान–मोतिहारी **मार्ग सं0–2199** सिवान प्र0–05:13 मोति0 प्र0–09:47 सिवान प्र0–13:22 मोति0 प्र0–17:22	आपतिकर्ता–नैमुल हक, पिता–शेख अब्दूल, परमिट सं0– आवृत वाहन सं0– BR28P-8651, मार्ग–गुठनी–रक्सौल, मार्ग सं0–3675 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक सिवान प्र0–01:22 आपतिकर्ता सिवान प्र0–01:25 अंतराल–03 मिनट (आपतिकर्ता का क्रं0–5 पर आवेदन आवेदित है)	BR28P-8651 नि0तिथि–15.12.25 टैक्स–14.06.26 फिट0–14.12.27 बीमा–29.12.26 प्रदूषण–15.12.25 VLTD–15.01.28 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।* आवेदित बस के आवेदक पर फर्जी बीमा के कारण नगर थाना, छपरा में दि0–04.08.25 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में जमानत से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मैं जमानत की प्रक्रिया में हूँ। इसलिए अनुरोध किया गया है कि जमानत की शर्त पर मेरे आवेदन को स्वीकृत किया जाय।		आवेदित बस के आवेदक पर फर्जी बीमा के कारण नगर थाना, छपरा में दि0–04.08.25 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा उक्त मामला माननीय न्यायालय के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है। आवेदक द्वारा बैठक की तिथि तक अपने जमानत से संबंधित साक्ष्य भी कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है, जिससे कि उनके आवेदन पर विचार किया जा सके। अतः उक्त के आलोक में **परमिट अस्वीकृत।**

7.	श्री राकेश यादव, पिता–बिरेन्द्र यादव ग्राम–टरवा खुर्द, पो0–बकुलारी, थाना–गुठनी, जिला–सिवान बैनर का नाम– **कष्ण मुरारी।**	BR29PB-1689 नि0तिथि–29.01.16 टैक्स–27.08.26 फिट0–26.01.27 बीमा–15.09.26 प्रदूषण–05.12.26 VLTD–15.11.26 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	मेहरौना–सिवान **मार्ग सं0–3696** मेहरौना प्र0–07:55 सिवान प्र0–11:15 मेहरौना प्र0–12:53 सिवान प्र0–14:28 मेहरौना प्र0–16:15 सिवान प्र0–17:55	आपतिकर्ता–धीरज कुमार राय, पिता–मनकेशव राय परमिट सं0– आवृत वाहन सं0– BR29P-9935, मार्ग–मेहरौना–सिवान, मार्ग सं0–3696 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदनकर्ता के बैनर के अंतर्गत चलने वाली वाहन संख्या–UP52T-9215 का फिटनेश फेल है, इसके बावजूद भी उस वाहन का परिचालन किया जा रहा है। UP52T-9215– सभी कागजात फेल ।	BR29P-9935 नि0तिथि–16.05.14 टैक्स–15.08.26 फिट0–23.12.26 बीमा–27.04.27 प्रदूषण–30.11.26 VLTD–17.12.26 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन परमिट से आवृत नही है।*		वाहन पोर्टल के अनुसार वाहन संख्या–UP52T-9215 का सभी कागजात अदयतन है। अतः उक्त के आलोक में **परमिट स्वीकृत।**
8.	श्री धीरज कुमार राय, पिता–मनकेशव राय, ग्राम+पो0–डुमरहर खुर्द, थाना– गुठनी, जिला–सिवान **बैनर का नाम– जय सियाराम कंपनी।**	BR29P-9935 नि0तिथि–16.05.14 टैक्स–15.08.26 फिट0–23.12.26 बीमा–27.04.27 प्रदूषण–30.11.26 VLTD–17.12.26 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	मेहरौना–सिवान **मार्ग सं0–3696** मेहरौना प्र0–07:15 सिवान प्र0–08:35 मेहरौना प्र0–09:27 सिवान प्र0–**11:15** मेहरौना प्र0–12:07 सिवान प्र0–**13:06** मेहरौना प्र0–14:01 सिवान प्र0–15:54	(1) आपतिकर्ता–साधना कुमारी, पति–राजेन्द्र प्रसाद, परमिट सं0– BR2025-SC-0275A आवृत वाहन सं0– BR04J-1562, मार्ग–मेहरौना–सिवान, मार्ग सं0–3696 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक सिवान प्र0–13:06 आपतिकर्ता सिवान प्र0–13:06 अंतराल–00 मिनट .... (2) आपतिकर्ता–राकेश यादव, पति–बिरेन्द्र यादव, परमिट सं0– आवृत वाहन सं0– BR29PB-1689, मार्ग–मेहरौना–सिवान, मार्ग सं0–3696 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक सिवान प्र0–11:15 आपतिकर्ता सिवान प्र0–11:15 अंतराल–00 मिनट (आपतिकर्ता–2 का क्र0–7 पर आवेदन आवेदित है)	BR04J-1562 नि0तिथि–15.02.11 टैक्स–30.06.26 फिट0–12.04.27 बीमा–09.04.27 प्रदू0–09.10.26 VLTD–24.12.26 जुर्माना–नहीं .... BR29PB-1689 नि0तिथि–29.01.16 टैक्स–27.08.26 फिट0–26.01.27 बीमा–15.09.26 प्रदू0–05.12.26 VLTD–15.11.26 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक–2.04.22 को निर्गत है।*		आपति के आलोक में **द्वितीय ट्रिप एवं तृतीय ट्रिप कटाव के साथ परमिट स्वीकृत।**
9.	श्री मुकेश शाही, पिता–अमरेश शाही, ग्राम+पो0–बलथरी, थाना–कुचायकोट, जिला–गोपालगंज **बैनर का नाम– शाही नवीन ट्रेवल्स।**	BR29PA-6728 नि0तिथि–13.07.19 टैक्स–14.08.26 फिट0–25.03.27 बीमा–18.03.27 प्रदूषण–18.03.27 VLTD–11.04.27 जुर्माना–हाँ 2000 H.S.R.P–हाँ	गुठनी–रक्सौल **मार्ग सं0–3675** गुठनी प्र0 –03:29 रक्सौल प्र0–11:34	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।* *आवेदक द्वारा बैठक के पूर्व जुर्माने की राशि जमा कर दी गई है।*		स्वीकृत।

10	श्री राजेश यादव, पिता–रामरक्षा यादव ग्राम+पो0–बड़का गॉव, थाना–मीरगंज जिला–गोपालगंज बैनर का नाम– **यादव ट्रेवल्स।**	BR01PS-1981 नि0तिथि 24.03.17 टैक्स–19.06.26 फिट0–11.06.27 बीमा–26.11.26 प्रदूषण–03.08.26 VLTD–18.07.27 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	पगरा–गोपालगंज **मार्ग सं0–4101** पगरा प्र0–05:43 गोपा0 प्र0–09:12 पगरा प्र0–11:25 गोपा0 प्र0–14:53	आपतिकर्ता–मुन्ना सिंह, पति–हरिशंकर सिंह, परमिट सं0– BR2025-SC-3145A आवृत वाहन सं0– BR22PA-5706, मार्ग–जगदीशपुर–गोपालगंज, मार्ग सं0–3860 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक गोपालगंज प्र0–14:53 आपतिकर्ता गोपालगंज प्र0–14:58 अंतराल–05 मिनट साथ हीं आवेदनकर्ता का अन्य वाहन वाहन सं0–BR05P-8251 का टैक्स, फिटनेश एवं बीमा फेल है, जबकि यह वाहन परमिट से आवृत है। (i) BR05P-8251 – टैक्स–फेल, बीमा–फेल, परमिट–07.06.28 तक VLTD–फेल प्रदू0–फेल एवं जुर्माना–5000/–	BR22PA-5706 नि0तिथि–09.02.11 टैक्स–05.08.26 फिट0–09.01.27 बीमा–09.02.27 प्रदू0–10.10.26 VLTD–20.02.27 जुर्माना–हॉ 10500	*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।* *आपतिकर्ता द्वारा बैठक के पूर्व जुर्माने की राशि जमा कर दी गई है।*		परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि आवेदक वाहन सं0–BR05P-8251 का सभी कागजात अद्यतन कराकर एवं बकाया जुर्माना रहने के कारण **मो0 10000/– रूपये** अतिरिक्त जुर्माना जमा करने का साक्ष्य कार्यालय में समर्पित करने के पश्चात् परमिट निर्गमण की कार्रवाई की जायेगी।
11.	श्री रामप्रसन पाण्डेय, पिता–सुदर्शन पाण्डेय, ग्राम–धर्म परसा, पो0–मांझा, जिला–गोपालगंज बैनर का नाम – **आदर्श।**	BR28L-6921 नि0तिथि 29.04.16 टैक्स–28.07.26 फिट0–01.07.26 बीमा–30.06.26 प्रदूषण–14.12.26 VLTD–29.06.26 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	बढ़ेया मोड़–सिवान **मार्ग सं0–3784डा0** बढ़ेया मोड़प्र0–06:52 सिवान प्र0–10:00 बढ़ेया मोड़प्र0–12:54 सिवान प्र0–04:03	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन परमिट से आवृत नही है।*		स्वीकृत।
12.	श्री बिभूति शरण पाण्डेय, पिता–रविन्द्र पाण्डेय, ग्राम–हकमा, थाना–गरखा, जिला–सारण। **बैनर का नाम– पाण्डेय**	BR04PA-9504 नि0तिथि–13.04.26 टैक्स–29.06.26 फिट0–12.04.28 बीमा–05.04.27 प्रदूषण–12.04.27 VLTD–01.07.28 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	मॉझी–बैरिया **मार्ग सं0–3957** मॉझी प्र0–05:35 बैरिया प्र0–15:45	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन परमिट से आवृत नही है।*		स्वीकृत।

13.	श्री विनित कुमार राय, पिता–भुअन भास्कर राय, ग्राम–पाण्डेयपार, पो0–डुमरहर, थाना–गुठनी, जिला–सिवान बैनर का नाम–	BR09PA-6685 नि0तिथि 03.09.21 टैक्स–27.08.26 फिट0–28.12.27 बीमा–23.12.26 प्रदूषण–25.12.26 VLTD–04.01.28 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	मेहरौना–सिवान **मार्ग सं0–3696** मेहरौना प्र0–04:46 सिवान प्र0–06:10 मेहरौना प्र0–07:07 सिवान प्र0–08:35 मेहरौना प्र0–10:03 सिवान प्र0–12:30 मेहरौना प्र0–**13:30** सिवान प्र0–16:28	आपतिकर्ता–राजहंश तिवारी, पति–केदरनाथ तिवारी, परमिट सं0– BR/109/sc /2016 /30 आवृत वाहन सं0– BR29PA-0721, मार्ग–मेहरौना–सिवान, मार्ग सं0–2183 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक मेहरौना प्र0–01:30 आपतिकर्ता मेहरौना प्र0–01:30 अंतराल–00 मिनट	BR29PA-0721 नि0तिथि–16.10. 2015 टैक्स–13.07.26 फिट0–22.01.27 बीमा–06.12.26 प्रदू0–25.07.26 VLTD–12.02.27 जुर्माना–हॉ 19750	*आवेदित वाहन परमिट से आवृत नही है।* **कैलाश गुप्ता द्वारा दिये गये आवेदन के उपरांत कार्यालय अभिलेख** से मिलान करने पर वाहन सं0–BR29PA-0830 का मेहरौना में प्र0 समय 04:50 है तथा आवेदक का प्र0 समय 04:46 है। अंतराल क्रमशः 04 मिनट		आपति एवं कार्यालय अभिलेख से मिलान के उपरांत **प्रथम ट्रिप एवं चतुर्थ ट्रिप कटाव** के साथ **परमिट स्वीकृत**। साथ हीं आपतिकर्ता राजहंस तिवारी पर जुर्माना बकाया रहने के कारण **मो0 10000/– रूपये** का अतिरिक्त जुर्माना अधिरोपित किया जाता है, जिसे (पूर्व एवं वर्तमान जुर्माना सहित) सात दिनों के अन्दर जमा कर साक्ष्य कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
14.	श्री देवेन्द्र कुमार पिता–ध्रुवनाथ प्रसाद, पता–भवानीपुर जिरात, मोतिहारी। बैनर का नाम– **NRA गुड़िया।**	BR05PC-0397 नि0तिथि–18.05.26 टैक्स–10.08.26 फिट0–17.05.28 बीमा–10.05.27 प्रदूषण–17.05.27 VLTD–02.07.28 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	सिवान–मोतिहारी **मार्ग सं0–2199** सिवान प्र0–01:50 मोतिहारी प्र0–05:33 सिवान प्र0–09:14 मोतिहारी प्र0–14:59 सिवान प्र0–19:50 मोतिहारी प्र0–23:20	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन परमिट से आवृत नही है।*		**स्वीकृत।**
15.	श्रीमति निशा राय, पति–अभिषेक कुमार सिंह, ग्राम–श्री कृष्णा सदर सरेया वार्ड नं0–04, थाना+जिला–गोपालगंज बैनर का नाम– **परसार ट्रेभल्स।**	BR28P-5311 नि0तिथि–28.12.17 टैक्स–13.08.26 फिट0–29.03.27 बीमा–09.02.27 प्रदूषण–22.12.26 VLTD–03.01.28 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	बड़ेया–गोसाला रोड सिवान **मार्ग सं0–3784डा0** बड़ेया प्र0–05:35 गौसाला रोड सिवान प्र0–08:10 बड़ेया प्र0–10:15 गौसाला रोड सिवान प्र0–17:35	आपतिकर्ता–हरेन्द्र यादव, पिता–अदालत चौधरी, परमिट सं0– BR2026-SC-0949A आवृत वाहन सं0– BR04J-9703, मार्ग–बढ़ैया–गौशाला रोड सिवान, मार्ग सं0–3784 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक बरहड़िया प्र0–06:42 आपतिकर्ता बरहड़िया प्र0–06:42 अंतराल–00 मिनट साथ हीं इनके बैनर से अन्य वाहन जिसका कागजात अद्यतन नहीं है:– (i) BR28P-2671 – बीमा–फेल फिटनेश–फेल (ii) BR28P-3511 – बीमा–फेल	BR04J-9703 नि0तिथि–05.09.12 टैक्स–04.09.26 फिट0–15.04.27 बीमा–11.04.27 प्रदू0–16.03.27 VLTD–16.04.27 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*		आवेदक द्वारा अपने बैनर के अंतर्गत संचालित वाहनों की सूची में BR28P-2671 & BR28P-3511 अंकित नहीं है तथा उक्त वाहन आवेदक के नाम से निबंधित नहीं है। अतः आपति के आलोक में **प्रथम खेप में बड़हरिया बाईपास** के साथ **परमिट स्वीकृत।**

16..	श्री धीरज कुमार सिंह, पिता–प्रभुनाथ सिंह, ग्राम–सोनहो, भाथा, जिला–सारण बैनर का नाम– **अरूण ट्रेभल्स।**	BR03P-8832 नि0तिथि–25.04.14 टैक्स–24.07.26 फिट0–28.10.26 बीमा–28.01.27 प्रदूषण–18.09.26 VLTD–21.11.26 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–.हॉ	मॉझी–बैरिया **मार्ग सं0–3957** मॉझी प्र0–**03:55** बैरिया प्र0–08:30 मॉझी प्र0–12:25 बैरिया प्र0–15:54	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।* **रणजीत कुमार द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में कार्यालय अभिलेख** से मिलान करने पर वाहन सं0–BR01PR-3843, परमिट सं0–BR2026-SC-0036A वैधता–04.01.2031 का मांझी में प्र0 समय 03:55 है तथा आवेदक का मांझी में प्र0 समय 03:55 है। अंतराल क्रमशः 00 मिनट	BR01PR-3843 नि0तिथि–20.03.20 टैक्स–01.09.26 फिट0–11.07.26 बीमा–02.10.26 प्रदूषण–14.06.27 VLTD–04.09.27 जुर्माना–नहीं	अतः कार्यालय अभिलेख में वर्णित तथ्य के आलोक में **प्रथम ट्रिप कटाव के** साथ **परमिट स्वीकृत।**
17.	स्वपना कुमारी, पिता–श्री राम चौधरी, ग्राम–पकड़ियार, पो0–लाईन बाजार, थाना–मीरगंज, जिला–गोपालगंज बैनर का नाम– **मॉ देवता रथ।**	BR19C-4622 नि0तिथि–13.04.10 टैक्स–27.07.26 फिट0–14.02.27 बीमा–05.02.27 प्रदूषण–03.02.27 VLTD–05.03.27 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	जगदीशपुर–गोपालगंज **मार्ग सं0–3860** जगदीशपुर प्र0 –07:46 गोपा0 प्र0–14:39	आपतिकर्ता–मुन्ना सिंह, पिता–हरिशंकर सिंह, परमिट सं0– BR2026-SC-0996A आवृत वाहन सं0– BR06PA7543, मार्ग–जगदीशपुर–गोपालगंज, मार्ग सं0–3860 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक भोरे प्र0–08:55 आपतिकर्ता भोरे प्र0–08:57 अंतराल–02 मिनट आवेदक विजयीपुर प्र0–08:14 आपतिकर्ता विजयीपुर प्र0–08:16 अंतराल–02 मिनट	BR06PA-7543 नि0ति0–03.09.11 टैक्स–02.09.26 फिट0–21.06.27 बीमा–15.02.27 प्रदू0–03.02.27 VLTD–03.05.27 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*		प्राधिकार के अनुसार मध्य बिंदू पर 02 मिनट का अंतराल अनुमान्य है। अतः उक्त के आलोक में **परमिट स्वीकृत।**
18.	श्री मंजित कुमार, पिता–श्री सुरेन्द्र पुरी ग्राम–रामपुर खजुरिया, थाना–डुमरियाघाट, जिला–पूर्वी चम्पारण बैनर का नाम– **मॉ वैष्णव।**	Chasis No-MAT513355T5B11723 नि0तिथि– टैक्स– फिट0– बीमा– प्रदूषण– VLTD– जुर्माना– H.S.R.P–	सिवान–मोतिहारी **मार्ग सं0–2199** सिवान प्र0–01:30 मोतिहारीप्र0–04:34 सिवान प्र0–07:09 मोतिहारीप्र0–10:32 सिवान प्र0–12:46 मोतिहारीप्र0–15:48 सिवान प्र0–19:10 मोतिहारीप्र0–22:03	(1) आपतिकर्ता–प्रमोद कुमार सिंह, पिता–भरत भूषण सिंह, परमिट सं0–BR2025-SC-2240A आवृत वाहन सं0– BR05PB-8452, मार्ग–सिवान–मोतिहारी, मार्ग सं0–2199 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक ने न्यू गाड़ी का जो प्रकाशन कराये है, जो चेसिस नं0 पर है, जबकि वाहन का निबंधन होने पर परमिट दिया जाता है। साथ हीं आवेदक ने सिवान में 12:44 में पहुँच कर 12:46 में खुल रहा है, जो 2 मिनट मे पैसेन्जर को कैसे बैठाएंगे।	BR05PB-8452 नि0तिथि–06.05.25 टैक्स–04.08.26 फिट0–05.05.27 बीमा–11.05.27 प्रदू0–03.05.27 VLTD–04.06.27 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*		आवेदक द्वारा यह आवेदन वाहन के निबंधन संख्या से नहीं बल्कि चेचिस नं0 के माध्यम से किया गया है तथा बैठक की तिथि तक वाहन का निबंधन संख्या प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए तकनीकी रूप से इस परमिट को निर्गत किया जाना संभव नहीं है।

				(2) आपतिकर्ता–देवेन्द्र कुमार, पिता–ध्रुवनाथ प्रसाद, परमिट सं0– BR2025-SC-3159A आवृत वाहन सं0– BR06GC-9747, मार्ग–सिवान–मोतिहारी, मार्ग सं0–2199 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक महम्मदपुर प्र0–11:35 आपतिकर्ता महम्मदपुर प्र0–11:34 अंतराल–01 मिनट साथ हीं सिवान तथा मोतिहारी दोनों जिला मुख्यालय है और आवेदक द्वारा दोनों जिला मुख्यालय में मात्र 02 मिनट का अन्तराल दिया गया है। वाहन स्टैण्ड में कब सवारी को उतार कर और कितने देर में सवारी को बैठा कर प्रस्थान करेगी। सिवान प्रथम बिंदू है वहाँ पर भी वाहन मात्र 02 मिनट में वापस हो रही है।	BR06GC-9747 नि0तिथि–09.04.16 टैक्स–08.07.26 फिट0–18.09.26 बीमा–06.09.26 प्रदू0–28.07.26 VLTD–23.07.26 जुर्माना–नहीं			अतः उक्त के आलोक में **आवेदन अस्वीकृत।**
19.	श्री अलोक कुमार सिंह, पिता– राम लड्डु सिंह, ग्राम–पुरूसोतमपुर टोले नाजिरगंज, थाना–जनता बाजार, जिला–सारण। बैनर का नाम–**युवराज।**	BR04PA-7259 नि0तिथि 09.04.24 टैक्स–02.07.26 फिट0–08.04.28 बीमा–02.04.27 प्रदूषण–07.04.27 VLTD–21.06.28 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	बाबा बाजार–मलमलिया **मार्गसं0–3814** बाबा बाजारप्र0–06:58 मलमलिया प्र0–**13:22**	(1) आपतिकर्ता–अरूण कुमार सिंह, पिता–विश्वनाथ सिंह, परमिट सं0–BR2026-SC-0993A आवृत वाहन सं0– BR06PD-0251, मार्ग–छपरा–महम्मदपुर, मार्ग सं0–3764 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक छपरा प्र0–09:27 आपतिकर्ता छपरा प्र0–09:30 अंतराल–03 मिनट (2) आपतिकर्ता–अमरेन्द्र नारायण सिह, पिता–पृथ्वीनाथ कुमार, परमिट सं0– BR2025-SC-0843A आवृत वाहन सं0– BR29PB-0985, मार्ग–छपरा–महम्मदपुर, मार्ग सं0–3764 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक मलमलिया प्र0–13:22 आपतिकर्ता मलमलिया प्र0–**13:23** अंतराल–01 मिनट	BR06PD-0251 नि0तिथि–24.06.16 टैक्स–03.09.26 फिट0–05.12.26 बीमा–05.01.27 प्रदू0–02.12.26 VLTD–27.02.27 जुर्माना–नहीं BR29PB-0985 नि0तिथि–06.02.25 टैक्स–01.07.26 फिट0–05.02.27 बीमा–16.03.27 प्रदू0–09.02.27 VLTD–02.03.27 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।*		आपति के आलोक में समय–सारणी टकराव के कारण **आवेदन अस्वीकृत।**
20.	श्री अभिषेक कुमार, पिता–श्री राम तपस्या पुरी ग्राम–रामपुर खजुरिया, थाना–डुमरियाघाट, जिला–पूर्वी चम्पारण बैनर का नाम–**माँ वैष्णव।**	BR05PC-0267 नि0तिथि–30.04.26 टैक्स–14.07.26 फिट0–29.04.28 बीमा–14.04.27 प्रदूषण–29.04.27 VLTD–15.06.28 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	सिवान–मोतिहारी **मार्ग सं0–2199** सिवान प्र0–02:27 मोतिहारी प्र0–05:04 सिवान प्र0–07:18 मोतिहारी प्र0–10:50 सिवान प्र0–14:15 मोतिहारी प्र0–18:29	आपतिकर्ता–देवेन्द्र कुमार, पिता–ध्रुवनाथ प्रसाद, परमिट सं0– BR2025-SC-0570A आवृत वाहन सं0– BR06PD-9826, मार्ग–गुठनी–रक्सौल, मार्ग सं0–3675 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक जिला मुख्यालय सिवान में 07:16 में आगमन कर 07:18 में प्रस्थान कर रहे हैं। सिवान जिला मुख्यालय है। यहाँ 05 मिनट का ठहराव देना चाहिये।	BR06PD-9826 नि0तिथि–06.10.18 टैक्स–23.06.26 फिट0–22.10.26 बीमा–10.10.26 प्रदू0–04.12.26 VLTD–20.01.28 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।*		आवेदित वाहन से समय–सारणी में टकराव नहीं हो रहा है। अतः **परमिट स्वीकृत।**

21	श्रीमति मीनु सिंह, पति–स्व0 प्रेमनाथ सिंह, कचहरी रोड, हरखौली, गोपालगंज। बैनर का नाम– **लवकुश।**	BR28E-8851 नि0तिथि–31.05.12 टैक्स–10.08.26 फिट0–04.05.27 बीमा–23.04.27 प्रदूषण–16.04.27 VLTD–17.05.27 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	सिवान–मोतिहारी **मार्ग सं0–2199** सिवान प्र0–11:47 मोतिहारी प्र0–15:40	आपतिकर्ता–प्रमोद कुमार सिंह, पिता–भरत भूषण सिंह, परमिट सं0–BR2025-SC-0877A आवृत वाहन सं0– BR06PC-2586, मार्ग–रक्सौल–सिवान, मार्ग सं0–2465डा0 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक ने मेरे वाहन के सिवान में 11:52 के आगे 11:47 किये है तथा आवेदित वाहन करीब पॉच साल तक BSRTC में परिचालन हुआ है, जिसका बिहार सरकार का करीब 2 लाख 80 हजार रूपये बकाया है।	BR06PC-2586 नि0तिथि–10.07.14 टैक्स–09.07.26 फिट0–30.07.26 बीमा–02.10.26 प्रदू0–26.07.26 VLTD–28.07.28 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो मुज0 प्राधिकार से दिनांक–22.10.18 को निर्गत है।*		आपति के आलोक में वाहन पोर्टल पर जॉच की गई। वाहन पोर्टल के अनुसार आवेदित वाहन पर कोई भी कर बकाया नहीं है तथा आपतिकर्ता के समय–सारणी से कहीं भी टकराव नहीं हो रहा है। अतः उक्त के आलोक में **परमिट स्वीकृत।** साथ हीं BSRTC के बकाया के आरोप के संबंध में संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी जॉच कर विधिसम्मत् कार्रवाई करेंगे।
22	श्रीमति मीनु सिंह, पति–स्व0 प्रेमनाथ सिंह, कचहरी रोड, हरखौली, गोपालगंज। बैनर का नाम– **लवकुश।**	BR28E-9851 नि0तिथि–16.11.12 टैक्स–15.08.26 फिट0–31.05.27 बीमा–23.04.27 प्रदूषण–16.04.27 VLTD–17.05.27 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–नहीं	सिवान–मोतिहारी **मार्ग सं0–2199** सिवान प्र0–11:35 मोतिहारीप्र0–15:25	आपतिकर्ता–विशाल आनन्द, वास्ते–उमाकांत कुमार सिंह, परमिट सं0–BR2023-SC-2947A आवृत वाहन सं0– BR06PE-3927, मार्ग–रक्सौल–सिवान, मार्ग सं0–2465डा0 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक ने मेरे वाहन के सिवान में 11:40 के आगे 11:35 किये है तथा आवेदित वाहन BSRTC में परिचालन हुआ है, जिसका बिहार सराकर का करीब 2 लाख से उपर बकाया है।	BR06PE-3927 नि0तिथि–13.08.19 टैक्स–29.07.26 फिट0–12.08.27 बीमा–02.08.26 प्रदू0–05.03.27 VLTD–06.08.26 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।*		आपति के आलोक में वाहन पोर्टल पर जॉच की गई। वाहन पोर्टल के अनुसार आवेदित वाहन पर कोई भी कर बकाया नहीं है तथा आपतिकर्ता के समय–सारणी से कहीं भी टकराव नहीं हो रहा है। अतः उक्त के आलोक में **परमिट स्वीकृत।** साथ हीं BSRTC के बकाया के आरोप के संबंध में संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी जॉच कर विधिसम्मत् कार्रवाई करेंगे।
23	श्री सतीश कु0 सिंह पिता–नरेन्द्र प्र0 सिंह, ग्राम+पो0 –बसाव, थाना–बसंतपुर जिला–सिवान बैनर का नाम–	BR29PB-2114 नि0तिथि 08.04.26 टैक्स–30.06.26 फिट0–07.04.28 बीमा–31.03.27 प्रदूषण–07.04.27 VLTD–02.06.28 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	छपरा–सिवान **मार्गसं0–3733डा0** छपरा प्र0–06:00 सिवान प्र0–12:05	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।*		स्वीकृत।

24	श्री जितेन्द्र नारायण सिंह,पिता–पृथ्वीनाथ सिंह, परौली, सिवान बैनर का नाम– दिपक।	BR29PB-2334 नि0तिथि–03.06.26 टैक्स–02.09.26 फिट0–01.06.28 बीमा–12.04.27 प्रदूषण–02.06.27 VLTD–02.06.28 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	छपरा–महम्मदपुर **मार्ग सं0–3764** छपरा प्र0–02:35 महम्मदपुरप्र0–05:25 छपरा प्र0–07:54 महम्मदपुरप्र0–12:10 छपरा प्र0–05:15 महम्मदपुरप्र0–08:12	आवेदनकर्ता द्वारा अपने आवेदन को वापस ले लिया गया है।		*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।*		आवेदन वापस।
25	श्री मुकेश शाही, पिता–अमरेश शाही, ग्राम+पो0–बलथरी, थाना–कुचायकोट, जिला–गोपालगंज **बैनर का नाम–** **शाही नवीन ट्रेवल्स**	BR01PS-3260 नि0तिथि–20.03.19 टैक्स–22.07.26 फिट0–16.07.27 बीमा–04.12.26 प्रदूषण–01.09.26 VLTD–18.06.28 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	सिवान–मोतिहारी **मार्ग सं0–2199** सिवान प्र0–04:17 मोति0 प्र0–09:12 सिवान प्र0–12:00 मोति0 प्र0–16:26	(1) आपतिकर्ता–प्रमोद कुमार सिंह, पिता–भरत भूषण सिंह, परमिट सं0–BR2023-SC-0707A आवृत वाहन सं0– BR05PB-6156, मार्ग–रक्सौल–सिवान, मार्ग सं0–2465डा0 आपतिकर्ता का आपति है कि :– (i) उपरोक्त बस स्लीपर AC है, जबकि उक्त बस नन AC में पास है, जिसमें टैक्स लाखों–लाख बकाया है। (ii) यह गाड़ी मोतिहारी से बनारस चल रहा है। जिसपर 20000/–रूपये जुर्माना बकाया है। (iii) मोतिहारी से सिवान जाने के क्रम में गोपालगंज जिला मुख्यालय है, जिसमें 11:14 में पहुँच कर 11:15 में खुल रहे हैं, जो 1 मिनट में पैसेन्जर कैसे उतारा जायेगा एवं कैसे चढ़ाया जायेगा। (iv) यह गाडी 55 सीट में पास है एवं गाड़ी में स्लीपर सीट लेकर 72 सीट में है। जिसका गोपालगंज या सिवान होकर चलती है। .... (2) आपतिकर्ता–मो0 निजामुद्दीन, पति–अब्दुल हकीम, परमिट सं0– BR2025-SC-3009A आवृत वाहन सं0– BR28P-4304, मार्ग–सिवान–मोतिहारी, मार्ग सं0–2199 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदनकर्ता का वाहन स्लीपर है, जो 55 सीट में पास है एवं 72 सीट गाड़ी में है एवं AC लगा हुआ है एवं नन AC में पास है । इनके उपर 50 लाख रूपया टैक्स बकाया है एवं इनके नवीन शाही बैनर के नाम से टैक्स बकाया है, जो वाहन सं0–UP53CT-9593 है। (i) UP53CT-9593 – टैक्स–फेल, बीमा–फेल, फिटनेश–फेल, परमिट–फेल एवं जुर्माना –11,500/–	BR05PB-6156 नि0तिथि–26.07.22 टैक्स–25.07.26 फिट0–29.07.26 बीमा–30.05.27 प्रदू0–01.08.26 VLTD–12.03.26 जुर्माना–नहीं .... BR28P-4304 नि0तिथि–09.07.25 टैक्स–27.06.26 फिट0–08.07.27 बीमा–08.07.26 प्रदू0–08.07.26 VLTD–29.07.27 जुर्माना–नही	*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*		प्रथम आपति के आलोक में वाहन का निबंधन पुस्त जॉच की गई। निबंधन पुस्त के अनुसार उक्त वाहन में स्लीपर का 36 एवं सीटिंग का 17 सीट है तथा AC या Non AC का जिक्र निबंधन पुस्त में नहीं है। वर्तमान में उक्त वाहन पर कोई जुर्माना बकाया नहीं है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा वाहन में बैठने की क्षमता के संबंध में लगाये गये आरोपों से संबंधित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। विदित हो कि प्राधिकार की बैठक दिनांक–20.03.26 के क्रमांक–6 पर आपत्तिकर्त्ता द्वारा लगाये गये भ्रामक आपति के आलोक में उनपर मो0 5000/–रूपये का जुर्माना लगाया गया था तथा चेतावनी दी गई थी कि भविष्य में बिना साक्ष्य का आपत्ति नहीं देंगें। आपत्तिकर्त्ता द्वारा उक्त जुर्माने की राशि भी अबतक जमा नहीं की गई है। साथ हीं वाहन सं0–UP53CT-9593 आवेदक के नाम से निबंधित नहीं है एवं समय–सारणी का कहीं टकराव नहीं हो रहा है। अत: उक्त के आलोक में **परमिट स्वीकृत।** संबंधित DTO उक्त वाहन का आपत्ति के अनुरूप जाँच करेंगे एवं जाँचोपरांत विधिसम्मत् कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें।

26	श्री सुनिल कुमार दुबे, पिता–स्व0 मनन दुबे, ग्राम–डाक बंगला रोड, सिवान **बैनर का नाम–सतीश बस।**	BR29R-8535 नि0तिथि–06.11.14 टैक्स–05.02.27 फिट0–14.01.27 बीमा–24.10.26 प्रदूषण–18.08.26 VLTD–02.02.28 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	दिघवा दिघौली–सिवान **मार्ग सं0–4031** दिघवा दिघौली प्र0 –04:48 सिवान प्र0–07:05 दिघवा दिघौली प्र0 –08:40 सिवान प्र0–11:30 दिघवा दिघौली प्र0 –14:30 सिवान प्र0–18:20	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक–15.05.2015 को निर्गत है।*		स्वीकृत।
27	मो0 अली ईमाम, ग्राम–सुल्तानपुर, आन्दर, जिला–सिवान। **बैनर का नाम–न्यू अनमोल मोति।**	BR04M-8076 नि0तिथि–26.08.13 टैक्स–20.08.26 फिट0–18.11.26 बीमा–19.04.27 प्रदूषण–16.07.26 VLTD–16.11.26 जुर्माना–हाँ 11500 H.S.R.P–हाँ	बढ़ेया–सिवान **मार्ग सं0–3915** बढ़ेया प्र0 –07:30 सिवान प्र0–12:00 बढ़ेया प्र0 –15:15 सिवान प्र0–17:55	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक–10.02.2021 को निर्गत है।*		आवेदित वाहन पर जुर्माना बकाया होने के कारण मो0 **10000/–रूपये** का अतिरिक्त जुर्माने के साथ पूर्व का जुर्माना एवं इस जुर्माने को जमा कर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराने की शर्त पर **परमिट स्वीकृत।**
28	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, पिता–विश्वनाथ सिंह, ग्राम+पो0–मीरा मुसेहरी, छपरा, सारण। **बैनर का नाम–जय हनुमान**	BR04J-1638 नि0तिथि–**22.02.11** टैक्स–31.07.26 फिट0–20.12.26 बीमा–08.12.26 प्रदूषण–24.10.26 VLTD–18.05.27 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	मशरख–छपरा **मार्ग सं0–2164** मशरख प्र0–08:25 छपरा प्र0–16:50	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक–08.06.2021 को निर्गत है।*		स्वीकृत।
29	श्री भुवन भास्कर राय, पिता–दिनानाथ राय, ग्राम–पाण्डेयपार, पो0–डुमरहर, थाना–गुठनी, जिला–सिवान **बैनर का नाम–**	BR29PA-2864 नि0तिथि–23.03.17 टैक्स–19.08.26 फिट0–23.08.26 बीमा–07.01.27 प्रदूषण–18.07.26 VLTD–02.07.26 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	मेहरौना–सिवान **मार्ग सं0–3696** मेहरौना प्र0–05:10 सिवान प्र0–07:15 मेहरौना प्र0–08:44 सिवान प्र0–12:53 मेहरौना प्र0–14:15 सिवान प्र0–16:15	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक–16.07.2021 को निर्गत है।*		स्वीकृत।

30	श्री रोहित कुमार ओझा, पिता–श्रीकांत ओझा, सहाजितपुर, सारण। **बैनर का नाम– रोहित मोहित ट्रेवल्स।**	**BR04N-2919** नि0तिथि 21.01.14 टैक्स–20.07.26 फिट0–14.05.27 बीमा–19.07.26 प्रदूषण–15.04.27 VLTD–30.05.28 जुर्माना–हाँ 2500 H.S.R.P–हाँ	मोतिहारी–छपरा **मार्ग सं0–3972** मोतिहारीप्र0–03:30 छपरा प्र0–10:10 मोतिहारीप्र0–**14:22** छपरा प्र0–20:23	(1) आपतिकर्ता–देवेन्द्र कुमार, पिता–ध्रुवनाथ प्रसाद, परमिट सं0–BR2026-SC-1005A आवृत वाहन सं0– BR06PC-9747, मार्ग–गुठनी–रक्सौल, मार्ग सं0–3675 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक मोतिहारी प्र0–14:22 आपतिकर्ता मोतिहारी प्र0–14:22 अंतराल–00 मिनट (2) आपतिकर्ता–रमेश महतो, पिता–बंगाली महतो, परमिट सं0–BR2025-SC-2248A आवृत वाहन सं0– BR06PF-2419, मार्ग–सिवान–मोतिहारी, मार्ग सं0–2199 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक महम्मदपुर प्र0–12:58 आपतिकर्ता महम्मदपुर प्र0–12:58 अंतराल–00 मिनट आवेदक खजुरिया प्र0–13:15 आपतिकर्ता खजुरिया प्र0–13:16 अंतराल–01 मिनट	BR06PC-9747 नि0तिथि–09.04.16 टैक्स–08.07.26 फिट0–18.09.26 बीमा–06.09.26 प्रदू0–27.07.26 VLTD–23.07.26 जुर्माना–नहीं BR06PF-2419 नि0तिथि–02.11.21 टैक्स–26.07.26 फिट0–19.03.28 बीमा–28.10.26 प्रदू0–15.02.27 VLTD–17.03.27 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक–11.03.2025 को निर्गत है।*		प्रथम आपति के आलोक में **द्वितीय ट्रिप कटाव** एवं द्वितीय आपति के आलोक में **प्रथम ट्रिप में महम्मदपुर एवं खजुरिया बाईपास** के साथ **परमिट स्वीकृत।**
31	श्रीमति गायत्री देवी, पति–पुशपेन्द्र राय, ग्राम+पो0–डुमरहर खुर्द, थाना–दरौली, जिला–सारण **बैनर का नाम– ओम जय सियाराम**	**BR29PB-3701** नि0तिथि 06.01.14 टैक्स–25.06.26 फिट0–26.11.26 बीमा–01.06.27 प्रदूषण–15.04.27 VLTD–04.06.27 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	मेहरौना–सिवान **मार्ग सं0–3696** मेहरौना प्र0–05:15 सिवान प्र0–**06:25** मेहरौना प्र0–07:25 सिवान प्र0–08:43 मेहरौना प्र0–09:42 सिवान प्र0–12:25 मेहरौना प्र0–13:25 सिवान प्र0–15:28	(1) आपतिकर्ता–भुवन भास्कर राय, पिता–दीनानाथ राय, परमिट सं0–BR2021-SC-1331Aआवृत वाहन सं0– BR29PA-2864, मार्ग–मेहरौना–सिवान, मार्ग सं0–3696 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक गुठनी प्र0–05:34 आपतिकर्ता गुठनी प्र0–05:35 अंतराल–01 मिनट (2) आपतिकर्ता–कैलाश गुप्ता, पिता–भोला गुप्ता, परमिट सं0–BR2022-SC-0414A आवृत वाहन सं0– BR29PA-0830, मार्ग–मेहरौना पुल–सिवान, मार्ग सं0–2183 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक सिवान प्र0–06:25 आपतिकर्ता सिवान प्र0–06:27 अंतराल–02 मिनट	BR29PA-2864 नि0तिथि–23.03.17 टैक्स–19.08.26 फिट0–23.08.26 बीमा–07.01.27 प्रदू0–18.07.26 VLTD–02.07.27 जुर्माना–नहीं BR29PA-0830 नि0तिथि–20.11.15 टैक्स–13.08.26 फिट0–06.04.27 बीमा–01.04.27 प्रदू0–21.11.26 VLTD–29.04.27 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक–10.07.2025 को निर्गत है।*		आपति के आलोक में **प्रथम ट्रिप कटाव** के साथ **परमिट स्वीकृत।**

32	श्री आदित्य कुमार, पिता–जय प्रकाश यादव, ग्राम–सिनसिनिया, पो0–कचनार, थाना–सिसवन, सिवान। **बैनर का नाम– कृष्णा मुरारी।**	**BR04PA-8951** नि0तिथि 11.03.17 टैक्स–13.08.26 फिट0–04.06.27 बीमा–02.06.27 प्रदूषण–23.08.26 VLTD–26.08.27 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	छपरा–सिवान **मार्ग सं0–3959** छपरा प्र0–06:50 सिवान प्र0–14:00	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*		स्वीकृत।
33	सुमन ओझा, पति–श्रीकांत ओझा, सहाजितपुर, सारण। **बैनर का नाम– रोहित मोहित ट्रेवल्स।**	**BR04Q-2119** नि0तिथि 09.02.15 टैक्स–08.08.26 फिट0–12.08.26 बीमा–12.05.27 प्रदूषण–09.12.26 VLTD–05.11.26 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	महम्मदपुर–छपरा **मार्ग सं0–3764डा0** महम्मदपुर प्र0 –04:10 छपरा प्र0–**07:54** महम्मदपुर प्र0 –12:10 छपरा प्र0–19:52	आपतिकर्ता–संजीव कुमार, पिता–मुनी सिंह, परमिट सं0– BR2022-SC-0944A आवृत वाहन सं0– BR01PC-4623, मार्ग–महम्मदपुर–छपरा, मार्ग सं0–3764डा0 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक छपरा प्र0–07:54 आपतिकर्ता छपरा प्र0–07:59 अंतराल–05 मिनट	**BR01PC-4623** नि0तिथि–06.05.11 टैक्स–05.08.26 फिट0–29.08.26 बीमा–19.08.26 प्रदू0–21.08.26 VLTD–08.08.26 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक–02.11.2024 को निर्गत है।*		प्राधिकार के अनुसार मुख्य बिंदू पर 05 मिनट का अंतराल अनुमान्य है। अतः उक्त के आलोक में **परमिट स्वीकृत।**
34	श्री गोविन्द कुमार, पिता–जलेश्वर राय, पता–साढ़ा, छपरा, सारण। **बैनर का नाम– दुलरी।**	**BR01PR-3420** नि0तिथि 28.03.17 टैक्स–03.07.26 फिट0–20.05.27 बीमा–09.03.27 प्रदूषण–12.09.26 VLTD–13.08.26 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	अमनौर–छपरा **मार्ग सं0–2162डा0** अमनौर प्र0–06:01 छपरा प्र0–**07:35** अमनौर प्र0–09:57 छपरा प्र0–13:19 अमनौर प्र0–15:15 छपरा प्र0–20:15	आपतिकर्ता–नगीना प्रसाद, पिता–कमला प्रसाद, परमिट सं0– BR2023-SC-1755A आवृत वाहन सं0–BR21P-0451, मार्ग–लक्ष्मीगंज–छपरा, मार्ग सं0–2171 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक छपरा प्र0–07:35 आपतिकर्ता छपरा प्र0–07:36 अंतराल–01 मिनट	BR21P-0451 नि0तिथि–07.07.15 टैक्स–06.07.26 फिट0–27.07.26 बीमा–13.11.24 प्रदू0–17.07.26 VLTD–नहीं जुर्माना–हाँ 9500	*आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक–04.11.2024 को निर्गत है।*		आपत्तिकर्त्ता का बीमा, VLTD एवं जुर्माना अद्यतन नहीं होने के कारण आपति मान्य योग्य नहीं है। साथ हीं आपत्तिकर्त्ता पर पूर्व का जुर्माना लंबित रहने के कारण मो0 10000/– रूपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाता है। अतः उक्त के आलोक में **परमिट स्वीकृत।**
35	श्री टुनटुन साह, पिता–शिव कुमार साह, ग्राम–सुपौली, थाना–सिधवलीया, जिला–गोपालगंज **बैनर का नाम– साह रथ।**	**BR28P-4730** नि0तिथि 16.02.26 टैक्स–28.07.26 फिट0–15.02.28 बीमा–15.02.27 प्रदूषण–15.02.27 VLTD–28.02.28 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	छपरा–मोतिहारी **मार्ग सं0–3972** छपरा प्र0–04:51 मोतिहारी प्र0–12:28 छपरा प्र0–18:38 मोतिहारी प्र0–22:20	आपतिकर्ता– श्री आलोक कुमार पाण्डेय, पिता–श्री राम ऐकवाल पाण्डेय परमिट सं0– - आवृत वाहन सं0– BR01PL-2017, मार्ग–सिवान–मोतिहारी, मार्ग सं0–2199 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक महम्मदपुर प्र0–07:51 आपतिकर्ता महम्मदपुर प्र0–07:52 अंतराल–01 मिनट (आपतिकर्ता का क्रं0–1 पर आवेदन आवेदित है)	BR01PL-2017 नि0तिथि 04.03.21 टैक्स–19.08.26 फिट0–25.05.27 बीमा–03.07.26 प्रदूषण–17.02.27 VLTD–16.06.27 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*		**प्रथम आपति** इस कार्यवाही के क्रमांक–1 पर निर्णय के आलोक में मान्य योग्य नहीं है। अतः उक्त के आलोक में **परमिट स्वीकृत।**

36	श्री टुनटुन साह, पिता–शिव कुमार साह, ग्राम–सुपौली, थाना–सिधवलीया, जिला–गोपालगंज **बैनर का नाम– साह रथ।**	BR28P-4713 नि0तिथि 07.02.26 टैक्स–28.07.26 फिट0–06.02.28 बीमा–05.02.27 प्रदूषण–06.02.27 VLTD–28.02.28 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	छपरा–मोतिहारी **मार्ग सं0–3972** छपरा प्र0–04:14 मोतिहारी प्र0–12:15 छपरा प्र0–18:33 मोतिहारी प्र0–22:30	(1) आपतिकर्ता–राजेश कुमार, पिता–विश्वनाथ प्रसाद, परमिट सं0– BR2024-SC-2373A आवृत वाहन सं0– BR28P-4851, मार्ग–रक्सौल–गुठनी, मार्ग सं0–3675डा0 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक महम्मदपुर प्र0–07:46 आपतिकर्ता महम्मदपुर प्र0–07:47 अंतराल–01 मिनट (आपतिकर्ता का क्रं0–2 पर आवेदन आवेदित है) .... (2) आपतिकर्ता– श्री आलोक कुमार पाण्डेय, पिता–श्री राम ऐकवाल पाण्डेय, परमिट सं0– BR2023-SC-1823A आवृत वाहन सं0– BR06PE-0950, मार्ग–सिवान–मोतिहारी, मार्ग सं0–2199 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक खजुरिया प्र0–08:16 आपतिकर्ता खजुरिया प्र0–08:16 अंतराल–00 मिनट	BR28P-4851 नि0ति0–10.06.23 टैक्स–09.06.26 फिट0–17.06.27 बीमा–29.05.27 प्रदूषण–08.06.27 VLTD–27.06.26 जुर्माना–नहीं .... BR06PE-0950 नि0तिथि–18.12.18 टैक्स–05.09.26 फिट0–02.03.27 बीमा–03.07.26 प्रदू0–20.06.26 VLTD–20.02.27 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*		आपति के आलोक में **प्रथम ट्रिप में महम्मदपुर एवं खजुरिया बाईपास के साथ परमिट स्वीकृत।**
37	श्री नितेश कुमार यादव, पिता–जय प्रकाश यादव, ग्राम–सिनिसिया, पो0+थाना–सिसवन, सिवान **बैनर का नाम– कृष्ण मुरारी।**	BR29PA-8951 नि0तिथि 18.02.20 टैक्स–18.08.26 फिट0–04.12.26 बीमा–04.06.27 प्रदूषण–28.01.27 VLTD–29.12.26 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	छपरा–हरनाथपुर **मार्ग सं0–3983** छपरा प्र0–03:10 हरनाथपुर प्र0–05:47 छपरा प्र0–08:42 हरनाथपुर प्र0–11:16 छपरा प्र0–14:16 हरनाथपुर प्र0–17:00	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*		स्वीकृत।
38	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, पिता–अक्षयवर सिंह, पता–मुकरेड़ा, सारण। **बैनर का नाम– जय दर्शनाथ बाबा।**	BR04PA-9539 नि0तिथि 23.04.26 टैक्स–21.04.27 फिट0–22.04.28 बीमा–14.04.27 प्रदूषण–22.04.27 VLTD–02.07.28 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	बाबा बाजार–मलमलिया **मार्ग सं0–3814** बाबा बाजार प्र0 –06:20 मलमलियाप्र0–11:48	आपतिकर्ता– सीमा कुमारी, वास्ते– मुन्ना कुमार सिंह, परमिट सं0– BR2026-SC-1034A आवृत वाहन सं0– BR29N-7276, मार्ग–महम्मदपुर–छपरा, मार्ग सं0–3764डा0 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक छपरा प्र0–08:19 आपतिकर्ता छपरा प्र0–08:23 अंतराल–04 मिनट	BR29N-7276 नि0तिथि 09.10.13 टैक्स–08.07.26 फिट0–06.01.27 बीमा–28.12.26 प्रदूषण–06.10.26 VLTD–19.01.27 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*		आपत्तिकर्त्ता एवं आवेदनकर्ता का मार्ग भिन्न–भिन्न है, परन्तु 40 प्रतिशत से अधिक एक दूसरे को आच्छादित करता है। अतः उक्त के आलोक में **प्रथम ट्रिप में छपरा बाईपास के साथ परमिट स्वीकृत।**

39	श्री प्रवीण कुमार सिंह, पिता–विजय सिंह, ग्राम–डटरा पुरसौली, पो0–इसुआपुर, सारण। **बैनर का नाम–हिमगिरी।**	BR04PA-9740 नि0तिथि 06.06.26 टैक्स–04.09.26 फिट0–04.06.28 बीमा–26.11.26 प्रदूषण–05.06.27 VLTD–20.03.28 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–नहीं	छपरा–मशरक **मार्ग सं0–2164** छपरा प्र0–04:30 मशरक प्र0–06:10 छपरा प्र0–08:32 मशरक प्र0–11:05 छपरा प्र0–14:05 मशरक प्र0–15:05 छपरा प्र0–16:15 मशरक प्र0–19:00	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*		स्वीकृत।
40	श्री प्रवीण कुमार सिंह, पिता–विजय सिंह, ग्राम–डटरा पुरसौली, पो0–इसुआपुर, सारण। **बैनर का नाम–हिमगिरी।**	BR04PA-9741 नि0तिथि 06.06.26 टैक्स–04.09.26 फिट0–04.06.28 बीमा–26.11.26 प्रदूषण–05.06.27 VLTD–20.03.28 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	मशरक–छपरा **मार्ग सं0–2164** मशरक प्र0–04:40 छपरा प्र0–08:15 मशरक प्र0–10:40 छपरा प्र0–13:09 मशरक प्र0–14:10 छपरा प्र0–16:05 मशरक प्र0–18:00 छपरा प्र0–19:30	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*		स्वीकृत।
41	श्री रघुनाथ यादव, पिता–स्व0 लक्ष्मण चौधरी, ग्राम–हरखौली, पो0–मीरगंज, जिला–गोपालगंज। **बैनर का नाम–लक्ष्मण दूत।**	BR28L-9797 नि0तिथि 01.09.15 टैक्स–24.08.26 फिट0–05.08.26 बीमा–08.03.27 प्रदूषण–23.07.26 VLTD–02.07.27 जुर्माना–हाँ 29500 H.S.R.P–हाँ	मोतिहारी–सिवान **मार्ग सं0–4077डा0** मोतिहारी प्र0–04:29 सिवान प्र0–09:45 मोतिहारी प्र0–12:33 सिवान प्र0–15:22	आपतिकर्ता–प्रमोद कुमार सिंह, पिता–भरत भूषण सिंह, परमिट सं0–BR2026-SC-1000A आवृत वाहन सं0–BR05PB-9510, मार्ग–मोतिहारी–सिवान, मार्ग सं0–4077डा0 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक ने मार्ग सं0 4077 पर प्रकाशन 129 कि0मी0 कराये हैं, परन्तु पोर्टल पर 90कि0मी0 है। इसी तरह सिवान से मोतिहारी 12:31 में पहुँचकर 12:33 में चल रहे है, जो सही नहीं है।	BR05PB-9510 नि0तिथि 22.01.26 टैक्स–20.07.26 फिट0–21.01.28 बीमा–20.01.27 प्रदूषण–21.01.27 VLTD–22.01.28 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*		आपत्ति के आलोक में वाहन पोर्टल पर जॉच किया गया। जॉच के क्रम में पाया गया कि सेम मार्ग की दूरी अप में 121कि0मी0 एवं डाउन में 90कि0मी0 प्रदर्शित है तथा आवेदक द्वारा 119 कि0मी0 का मार्ग का नक्शा भी आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है। आवेदक का वाहन 10 वर्ष पुरानी है तथा उक्त मार्ग पर दो खेप जाने एवं आने हेतु आवेदन दिया गया है, जबकि प्राधिकार के अनुसार 10 वर्ष पुरानी वाहनों का प्रतिदिन अधिकतम 400 कि0मी0 का परिचालन किया जाना है। अतः आवेदित वाहन पर जुर्माना बकाया होने के कारण मो0 10000/– **रूपये** का अतिरिक्त जुर्माने के साथ पूर्व का जुर्माना एवं इस जुर्माने को जमा कर कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध कराने की शर्त पर उपरोक्त वर्णित तथ्य के आलोक में **द्वितीय ट्रिप कटाव** के साथ **परमिट स्वीकृत।**

42	श्रीमति रीता सिंह, पति–राजेश सिंह, ग्राम+पो0–इजरा, थाना–संग्रामपुर, पूर्वी चम्पारण। **बैनर का नाम– मिश्रा बन्धू।**	**BR05PA-8776** नि0तिथि 01.08.18 टैक्स–31.07.26 फिट0–28.04.27 बीमा–02.08.26 प्रदूषण–13.05.27 VLTD–02.07.28 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	मोतिहारी–सिवान **मार्ग सं0–4077डा0** मोतिहारी प्र0–07:55 सिवान प्र0–15:09	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो एस0टी0ए0 बिहार से दिनांक–03.10.2019 को निर्गत है।*		स्वीकृत।
43	श्री संजय कुमार सिंह, पिता–अवध किशोर सिंह, पता–साढ़ा खेमाजी टोला, मुफ्फसील, सारण। **बैनर का नाम– जय माँ शेरावाली।**	**BR04PA-9739** नि0तिथि 06.06.26 टैक्स–04.09.26 फिट0–04.06.28 बीमा–10.12.26 प्रदूषण–05.06.27 VLTD–19.03.28 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	राजापट्टी–छपरा **मार्ग सं0–3816डा0** राजापट्टीप्र0–05:33 छपरा प्र0–08:48 राजापट्टीप्र0–10:40 छपरा प्र0–**13:08** राजापट्टीप्र0–14:15 छपरा प्र0–15:36	(1) आपतिकर्ता– प्रवीण कुमार सिंह, पिता–विजय सिंह, परमिट सं0– आवृत वाहन सं0– BR04PA-9741, मार्ग–मशरक–छपरा, मार्ग सं0–2164 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक छपरा प्र0–13:08 आपतिकर्ता छपरा प्र0–13:09 अंतराल–01 मिनट (आपतिकर्ता का क्रं0–40 पर आवेदन आवेदित है) (2) आपतिकर्ता– बलवीर सिंह, पिता–जवाहर सिंह, परमिट सं0– BR2021-SC-1523A, आवृत वाहन सं0– BR04N-6036, मार्ग–बगंराघाट–छपरा, मार्ग सं0–2169 आपतिकर्ता का आपति है कि :– आवेदक राजापट्टी प्र0–05:33 आपतिकर्ता राजापट्टी प्र0–05:27 अंतराल–06 मिनट	BR04PA-9741 नि0तिथि 06.06.26 टैक्स–04.09.26 फिट0–04.06.28 बीमा–26.11.26 प्रदूषण–05.06.27 VLTD–20.03.28 जुर्माना–नहीं BR04N-6036 नि0तिथि 26.05.14 टैक्स–25.08.26 फिट0–15.10.26 बीमा–13.03.27 प्रदूषण–13.03.27 VLTD–08.09.26 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*		प्रथम आपति के आलोक **में द्वितीय ट्रिप कटाव** के साथ **परमिट स्वीकृत।**
44	श्री अरूण कुमार सिंह, पिता–बलबीर सिंह, ग्राम–मटियारी, थाना–बैकुठपुर, गोपालगंज। **बैनर का नाम– अरूण ट्रेवल्स।**	**BR04PA-9742** नि0तिथि 06.06.26 टैक्स–04.09.26 फिट0–04.06.28 बीमा–21.02.27 प्रदूषण–05.06.27 VLTD–22.05.28 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–नहीं	बंगराघाट–छपरा **मार्ग सं0–4004** बंगराघाट प्र0–05:15 छपरा प्र0–13:00 बंगराघाट प्र0–15:15 छपरा प्र0–18:07	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*		स्वीकृत।

45	श्री अजय कुमार सिंह, पिता– बिकाउ सिंह, ग्राम–हेम नगर कॉलनी, पो0–सांढा, थाना–मुफसिल, जिला–सारण। बैनर का नाम–	BR04D-7993 नि0तिथि 01.02.07 टैक्स–31.12.26 फिट0–15.03.27 बीमा–23.11.26 प्रदूषण–10.09.26 VLTD–15.03.27 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	छपरा–तरैया मार्ग सं0–3826डा0 छपरा प्र0–07:41 तरैया प्र0–10:20	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*		स्वीकृत।

नोटः– (1) उपरोक्त कार्यावली सं0–3(i) के क्रमांक 1 से 45 आवेदित वैसे वाहन, जो पूर्व से परमिट से आवृत है, पर लगाई गई शर्तों के अतिरिक्त यह शर्त लगाया जाता है कि पूर्व से धारित परमिट का प्रत्यर्पण करने या परमिट प्रत्यर्पण संबंधी साक्ष्य उपलब्ध कराने के पश्चात एवं लगायी गयी सभी शर्त्तों का अनुपालन होने व बकाया जुर्माना जमा करने के पश्चात् ही परमिट निर्गमन की कार्रवाई की जायेगी।

(2) सभी संबंधित वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि कार्यावली संख्या–3(i) के क्रमांक–1 से 45 तक के निर्णय में लगाई गई शर्त्त एवं उक्त कंडिका (1) में लगाई गई शर्त का अनुपालन दिनांक–**27.07.2026** तक अनिवार्य रूप से करते हुए उसकी साक्ष्य कार्यालय को उपलब्ध करा देंगे अन्यथा लगाये गये शर्त का अनुपालन दिनांक–**30.07.2026** तक नहीं होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि लगाये गये शर्त पर वाहन स्वामी परमिट लेने हेतु इच्छुक नहीं है एवं इस आधार पर आवेदन **Dispose Off** कर **Time Slot Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए संबंधित वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(3) जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण/सिवान/गोपालगंज को निदेश है कि कार्यावाही में वर्णित जिस वाहन का परमिट आवेदन अस्वीकृत किया गया है एवं पूर्व से भी उक्त वाहन के पक्ष में कोई वैध परमिट न हो तो वैसे वाहन का परिचालन न किया जा रहा हो, यह सुनिश्चित करेंगें। अन्यथा जिनके क्षेत्राधिकार में ऐसे वाहनों का परिचालन पाया जायेगा, उनकी जबावदेही तय की जायेगी।

ह0/–
अपर समाहर्त्ता, सारण (राजस्व)
–सह–
सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।

ह0/–
संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।

ह0/–
आयुक्त–सह–अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।